

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



औषधि क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण

संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2015 की प्रतिवेदन सं. 5

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

**औषधि क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण
की
निष्पादन लेखापरीक्षा**

**संघ सरकार
राजस्व विभाग (प्रत्यक्ष कर)
2015 की प्रतिवेदन संख्या 5**

लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर को प्रस्तुत

विषय सूची

विषय		पृष्ठ
क.	प्राक्कथन	i
ख.	कार्यकारी सार	iii-v
ग.	सिफारिशों का सार	vi-ix
घ.	अध्याय I: प्रस्तावना	1-6
	घ.1 प्रस्तावना	1-2
	घ.2 हमने यह विषय क्यों चुना	2
	घ.3 संगठनात्मक ढांचा	3
	घ.4 कानूनी प्रावधान	3-4
	घ.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य तथा लेखापरीक्षा क्षेत्र	4-5
ड.	अध्याय II: प्रणालीगत विषय तथा आन्तरिक नियंत्रण	7-22
	ड.1 औषधि क्षेत्र को छोड़े गए राजस्व का प्रभाव	7-8
	ड.2 आयकर विभाग में क्षेत्रवार डाटा	8-9
	ड.3 डीएसआईआर से अनुमोदन की प्रतीक्षा में आरएण्डडी व्यय की अनुमति	9-10
	ड.4 धारा 35(2एबी) के अन्तर्गत आरएण्डडी व्यय की भारत कटौती की अनुमति	11-14
	ड.5 उत्पादों के विनिर्माण हेतु विनिर्माण कम्पनी के साथ निर्धारित कम्पनी द्वारा किए गए ठेके के संबंध में टीडीएस की कटौती	15-16
	ड.6 भागीदारी फर्म के संबंध में अधिक कटौती की अनुमति	16-17
	ड.7 अग्रणीत हानि अथवा अनावशोषित मूल्यहास के डाटा का अनुरक्षण	18-19
	ड.8 उत्पाद शुल्क विवरणी में घोषित टर्नोवर के साथ आयकर विवरणी में घोषित टर्नोवर के प्रतिसत्यापन हेतु तन्त्र	20-22
च.	अध्याय III: अनुपालन मामले	23-57
	<i>खण्ड क: औषधि क्षेत्र से संबंधित अस्वीकार्य खर्च</i>	24-31
	च.1 चिकित्सा पेशेवरों को उपहारों, फ्रीबीज आदि के प्रति व्यय की अनुमति	24-27
	च.2 बिक्री प्रोत्साहन खर्चों से न लिए गए फ्रीबीज/उपहारों पर व्यय के ब्यौरे	28-29
	च.3 चिकित्सक नमूनों के प्रति व्यय की अस्वीकृति नहीं/आंशिक स्वीकृति	29-30
	च.4 एनपीपीए द्वारा शास्त्रि के प्रति व्यय को अस्वीकृत न करना	30-31
	<i>खण्ड ख: औषधी क्षेत्र में अनुपालन मामले</i>	32-57
	च.5 आरएण्डडी/अन्य सामान्य खर्चों का आबंटन	33-35
	च.6 रियायतों/कटौती/छूट/राहत की अनुमति	35-37
	च.7 मूल्यहास/कारोबार हानि/पूँजीगत हानि का समंजन/अग्रोनयन	37-39
	च.8 कारोबार व्यय की अनुमति	39-40
	च.9 आरएण्डडी खर्चों की अनुमति	41-42
	च.10 खर्च अनुमत करने में गलती जिनपर टीडीएस काटा/जमा नहीं किया गया था	42-43

च.11	निर्धारण में असंगति	43-44
च.12	आय तथा कर की संगणना में गणितीय त्रुटियां	45-46
च.13	विशेष प्रावधान के अन्तर्गत आय का निर्धारण	46-47
च.14	सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत आय का निर्धारण	48-49
च.15	पूँजीगत लाभों का वर्गीकरण और संगणना	49-50
च.16	अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन	50-52
च.17	अन्य मामले	52-57
छ.	संकेताक्षर	59

प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राष्ट्रपति के प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर के औषधि क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम अन्तर्विष्ट हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टांत वे हैं जो जून से सितम्बर 2014 के दौरान 2010 से 2014 तक की अवधि की नमूना जांच के दौरान देखने में आए।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुकूल की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर राजस्व विभाग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से प्राप्त सहयोग का लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।

कार्यकारी सार

औषधि उद्योग 2007 में ₹ 71,000 करोड़ से 2013 में ₹ 1,21,015 करोड़ तक अपने टर्नोवर को लेकर गत पांच छः वर्षों में प्रचुर वृद्धि का साक्षी हुआ है और उसके द्वारा सरकारी राजस्व की अनुकूल सम्भावना के साथ यह विशाल आर्थिक क्षेत्र बना हुआ है। सरकार विभिन्न क्षेत्र आधारित कर छूटों, अनुसंधान तथा विकास (आरण्डडी) के प्रति खर्चों पर भारित कटौतियाँ और आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) में कारोबार लाभों के प्रति कटौतियाँ, उत्पाद शुल्क, राज्य वैट की रियायती दर आदि के रूप में इस क्षेत्र को सहायता प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि अधिनियम के अधीन इस क्षेत्र को प्रदत्त ऐसे वित्तीय प्रोत्साहन निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुमत किए गए हैं और इस आश्वासन की मांग करते हैं कि कर रियायतों से संबंधित इन प्रावधानों के सम्भावित दुरुपयोग के क्षेत्र में आवश्यक रोकथाम/नियंत्रण करने का उचित तन्त्र विद्यमान है और प्रभावी रूप से प्रचालित होता है।

हमने क्या (क) औषधि क्षेत्र को स्वीकार्य छूट तथा कटौतियाँ हकदारी के अनुसार अनुमत की गई हैं (ख) औषधि क्षेत्र के कराधान के लिए प्रशासनिक तथा प्रक्रियात्मक पर्याप्तता विद्यमान है (ग) औषधि क्षेत्र में निर्धारितियों को अनुसंधान तथा व्यय की कटौती की अनुमति ने उद्योग में तथा कर राजस्व में वृद्धि को सहयोग किया है, पर केन्द्रित उद्देश्यों के साथ “औषधि क्षेत्र में निर्धारितियों का निर्धारण” की निष्पादन लेखापरीक्षा की।

निष्पादन लेखापरीक्षा में औषधि क्षेत्र से संबंधित 2010-11 से 2013-14 और निर्धारितियों की लेखापरीक्षा की तारीख तक (सितम्बर 2014) की अवधि के दौरान पूर्ण किए गए निर्धारणों को शामिल किया गया। प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियों के मामलों में पूर्वनिर्धारण वर्षों के निर्धारण अभिलेखों की भी जांच/मिलान किया गया था जहां आवश्यक हुआ। हमने जुलाई 2014 में सीबीडीटी के साथ एन्ट्री कान्फ्रेंस की जिसमें हमने लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र और लेखापरीक्षा जांच के मुख्य केन्द्र क्षेत्रों को स्पष्ट किया।

हमने सम्पूर्ण भारत में स्थित आयकर विभाग (आईटीडी) की निर्धारण यूनिटों से 3,432 निर्धारण अभिलेखों की मांग की। तथापि, आईटीडी ने 2868 निर्धारण अभिलेखों (83.57 प्रतिशत) को प्रस्तुत किए जिनकी हमने लेखापरीक्षा की। इस प्रतिवेदन में 246 मामलें शामिल हैं जहां हमने प्रणाली में अथवा निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन में कमी का उल्लेख किया जिसमें ₹ 1,348.44 करोड़ का कुल कर प्रभाव अन्तर्गस्त है।

हमने पाया कि आईटीडी ने औषधि क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहनों का डाटा नहीं बनाया था और इसलिए ऐसे प्रोत्साहनों का प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सका। आईटीडी ने योजना तथा निर्णय करने के अपने महत्व की अनदेखी कर औषधि क्षेत्र में निर्धारिती का डाटाबेस भी नहीं बनाया था (पैरा 2.2 - 2.3)।

हमने छः राज्यों¹ में ₹ 570.59 करोड़ के कर प्रभाव वाले 22 मामले देखे जहां डीएसआईआर द्वारा जारी फार्म 3सीएल/3सीएम से अथवा डीएसआईआर की वेबसाइट से दावों का सत्यापन किए बिना आरएण्डडी के प्रति खर्चों पर भारित कटौती अनुमत की गई जो ऐसे दावों का अनुमोदन देने के लिए सक्षम प्राधिकरण है। हमने आगे देखा कि जैसा डीएसआईआर द्वारा विवरणी में दावा किया गया आरएण्डडी व्यय के अनुमोदन की तारीख से पूर्व विवरणी दाखिल करने की तारीख के कारण ऐसे दावे उनके अनुमोदन के पूर्व/बिना आईटीडी द्वारा अनुमत किए गए हैं। हमने आगे देखा कि निर्धारितियों ने आपूर्ति ठेकों के रूप में इन ठेकों को मानकर ठेका विनिर्माणों के संबंध में धारा 194सी के अपवर्जन खण्ड का लाभ लेकर टीडीएस का भुगतान नहीं किया है (पैरा 2.4 -2.6)।

हमने ₹ 8.51 करोड़ के कर प्रभाव वाले 17 मामलों का उल्लेख किया जहां निर्धारितियों ने भागीदारी पत्र में उसका प्रावधान न करने के द्वारा अपने भागीदारों को वेतन तथा ब्याज भुगतान से सम्बन्धित अस्पष्ट प्रावधानों का लाभ उठाया और उसके द्वारा धारा 80आईसी कटौती का अदेय लाभ प्राप्त किया। हमने यह भी देखा कि विशेष रूप से 80आईसी कटौतियों का लाभ लेने वाली यूनिट की हानियों/मूल्यहास के अग्रणीत पर सहसम्बन्ध एवं सत्यापन करने का आईटीडी के पास कोई तन्त्र नहीं है। आईटीडी के पास आयकर विवरणियों में घोषित टर्नोवर को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों में घोषित टर्नोवर के साथ सहसम्बन्ध करने एवं सत्यापन करने का भी कोई तन्त्र नहीं है जो उसी मंत्रालय का एक भाग है (पैरा 2.7 से 2.9)।

हमने सात राज्यों² में ₹ 55.10 करोड़ के कर प्रभाव वाले 36 मामले देखे जहां चिकित्सा व्यवसायियों को उपहारों/फ्रीबीज के प्रति व्यय, कानून द्वारा प्रतिबंधित/कारोबार से सम्बन्धित नहीं होने के बावजूद अनुमत किए गए थे (पैरा 3.1.1 - 3.1.4)।

1 महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक

2 आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, तमिलनाडु और उत्तरांचल

हमने 17 राज्यों³ में सामान्य प्रकृति के ₹ 714.24 करोड़ के कर प्रभाव वाले 171 मामलों का भी उल्लेख किया जिसमें कारोबार व्यय, आरण्डडी खर्च और ऐसे अनुसंधान तथा विकास से लाभ लेने वाली यूनिटों के बीच ऐसे व्यय का आबंटन अनुमत करने में गलतियां, निर्धारणों में असंगति, अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन से संबंधित अनियमितताएं, गणितीय त्रुटियां आदि शामिल किए गए (पैरा 3.2)।

औषधि क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण को सरल तथा कारगर बनाने के उद्देश्य से हमने प्रणालीगत विषयों, कानूनी प्रावधानों में अस्पष्टताओं के दुरुपयोग/अधिनियम में कमी, आईटीडी द्वारा चूकों से सम्बन्धित सिफारिशों की हैं जो “सिफारिशों का सार” में और प्रत्येक अध्याय के अन्त में दी गई हैं।

3 आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

सिफारिशों का सार

औषधि क्षेत्र से संबंधित प्रणालीगत विषयों के संदर्भ में

1. निर्धारितियों, जिनको विभिन्न कर प्रोत्साहन अधिनियम के अधीन निर्धारित किए गए हैं, का क्षेत्रवार डाटा सीबीडीटी बनाए।

(पैराग्राफ 2.3)

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न प्रोत्साहनों का लाभ लेने वाले करदाताओं की बड़ी संख्या को ध्यान में रख कर यह एक यथातथ्य रीति में क्षेत्र वार विभिन्न कर प्रोत्साहनों से संबंधित डाटा को अलग करना/पहचान करना व्यवहार्य नहीं हो सकता है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि निर्धारितियों, जो अनेक व्यवसायों में लगे हैं, द्वारा विवरणी में दायर कारोबार कोड से मुख्यतया डाटा लिया जाता है और यह सम्भावना है कि निर्धारित गलत कोड भर सकता है। तथापि कारोबार कोड में संशोधन विचाराधीन है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि क्षेत्र वार डाटा का रखरखाव भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा कर योजना और क्षेत्र विशेष नीति के लिए आवश्यक है। इसलिए क्षेत्रवार डाटा की प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन हेतु आईटीआर से संबंधता को सुगम करने के लिए पैन ब्यौरे लेने के लिए डीएसआईआर तथा एनपीपीए से अनुरोध किया जाए।

2. मंत्रालय एक तन्त्र विकसित करे ताकि डीएसआईआर द्वारा विधिवत अनुमोदित फार्म 3सीएम/3सीएल की प्रति आईटीआर के साथ निरपवाद रूप से संलग्न की जाए। मंत्रालय आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख से पहले तक डीजीआईटी (छूट) को डीएसआईआर द्वारा अनुमोदित फार्म 3सीएल अग्रेषित करने की तारीख भी निर्धारित करे।

(पैराग्राफ 2.4)

मंत्रालय ने डीएसआईआर द्वारा आरण्डडी व्यय के अनुमोदन की प्रणाली को स्पष्ट करते हुए बताया (जनवरी 2015) कि वर्तमान प्रणाली कम्प्यूटरीकृत युग से पूर्व डिजाइन की गई थी और मामले की पुनः जांच करने की सहमति जताई।

मंत्रालय के उत्तर से सहमत होते हुए लेखापरीक्षा ने आगे सुझाव दिया कि डीजीआईटी (छूट) के पास उपलब्ध डीएसआईआर का अनुमोदन आईटीआर से जोड़े जाने के लिए माना जाना चाहिए।

3. सीबीडीटी ऐसे कार्य ठेकों, जहां विनिर्माण प्रक्रिया का सम्पूर्ण नियंत्रण निर्धारिती कम्पनियों में निहित है, को अधिनियम की धारा 194सी की परिधि के अन्तर्गत लाने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार करे।

(पैराग्राफ 2.6)

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि सीएजी के सुझाव के कार्यान्वयन को धारा 194सी में विधायी परिवर्तन की आवश्यकता होगी क्योंकि यह सम्भावना है कि कुछ निर्धारिती कार्य ठेका की परिभाषा का लाभ ले सकते हैं जैसी धारा 194सी में परिभाषित है। उन्होंने आगे बताया कि 2015-16 की बजटीय क्वायद के दौरान जांच के लिए टीपीएल प्रभाग को अलग से एक संदर्भ किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा का मत है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि औषधि क्षेत्र कि कम्पनियां ठेका विनिर्माताओं को किए गए भुगतानों पर टीडीएस काटती है। इसलिए मंत्रालय इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उचित निर्णय ले।

4. आईटीडी अन्य कर विभाग के पास उपलब्ध निर्धारण से सम्बन्धित सूचना संग्रहीत/प्राप्त करने और कर आधार को और गहरा करने तथा कर जाल में सही आय को लाने के लिए एक तन्त्र विकसित करे। वैकल्पिक रूप से निर्धारिती, जो अधिनियम के प्रावधानों के अधीन टर्नोवर आधारित कटौतियों का लाभ ले रहा है, से फार्म ईआर 4 में अनिवार्य रूप से एआईआर की मांग की जानी चाहिए।

(पैराग्राफ 2.9)

औषधि क्षेत्र से संबंधित अनुपालन मामलों के संदर्भ में

5. चिकित्सक के नमूनों सहित फ्रीबीज के रूप में माने गए खर्चों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सीबीडीटी निर्देश जारी करे। इसके अलावा बिक्री प्रोत्साहन खर्चों से फ्रीबीज के स्वरूप में खर्चों के ब्यौरे देने के लिए ऐसे खर्चों की कटौती का दावा करने वाले निर्धारितियों के लिए सीबीडीटी एक उपयुक्त तन्त्र विकसित करे।

(पैराग्राफ 3.1.1-3.1.3)

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि फ्रीबीज किससे बनता है 10 दिसम्बर 2009 को यथा संशोधित भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा आचारशास्त्र) विनियम 2002 के मार्ग निर्देशों में निर्धारित है और इसलिए कथित मार्ग निर्देशों में कोई परिवर्तन/वृद्धि/विलोपन केवल उस निकाय द्वारा किया जा सकता है। मंत्रालय ने आगे बताया (जनवरी 2015) कि प्रत्येक मामले में विषय उसके गुणदोष के आधार पर एओ द्वारा निर्णीत किया जाता है और उपचारी कार्रवाई एओज के पास उपलब्ध है। मंत्रालय ने आगे बताया कि आईटीआर में फ्रीबीज की प्रकृति में खर्चों के ब्यौरे बनाना इसको भारी भरकम बना देगा।

लेखापरीक्षा का मत है कि इस संबंध में सीबीडीटी निर्देशों में स्पष्टता की कमी के कारण एओ भिन्न विचार ले रहे हैं इसलिए मंत्रालय उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि एओ भविष्य में सुसंगत कार्रवाई कर सके।

6. सीबीडीटी इस संबंध में विवादित तथा शेष विविध व्याख्याओं को प्रस्तुत करने के लिए फ्रीबीज के प्रति खर्चों के अस्वीकरण की प्रभावी तारीख स्पष्टतया निर्दिष्ट करे।

(पैराग्राफ 3.1.1)

मंत्रालय ने बताया कि सीबीडीटी का परिपत्र दिनांक 01 अगस्त 2012 प्रकृति में मात्र स्पष्टकारी था और एओ एमसीआई के विद्यमान/संशोधित मार्गनिर्देशों के आधार पर फ्रीबीज की कोई अस्वीकृति करते हैं और इस मामले में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

लेखापरीक्षा का मत है कि परिपत्र में प्रभावी तारीख का अभाव एओज को भिन्न विचारों का और अन्ततः मुकदमों का कारण बन सकता है।

इसलिए तारीख जिससे सीबीडीटी के निर्देश प्रभावी होंगे, का प्रत्येक निर्देश/परिपत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए अर्थात् भावी अथवा पूर्वव्यापी।

7. मंत्रालय ऐसे आबंटन के आधार और कार्यचालन के साथ-साथ सभी सामान्य खर्चों अथवा भारित कटौतियों का आबंटन दर्शाते हुए या तो विवरणी के साथ अथवा निर्धारण अभिलेखों के साथ दाखिल किए जाने के लिए एक मानक फार्म लागू करे।

(पैराग्राफ 3.2.1)

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि यह एक अनुपालन मामला है और प्रत्येक मामले के आधार पर कार्रवाई की जानी है। संवीक्षा निर्धारणों के दौरान एओ ऐसे सभी ब्यौरे मांगने के लिए शक्ति सम्पन्न हैं।

तथापि, लेखापरीक्षा का अभी भी यह मत है कि निर्धारण अभिलेखों में सामान्य खर्चों के आबंटन का आधार दर्शाने की आवश्यकता है।

8. मंत्रालय सामान्यतया डीएसआईआर की शर्तों और आरण्डडी खर्चों की पात्रता और उनकी मात्रा देखने के लिए विशेष रूप से निर्धारण के समय पर निर्धारिती द्वारा दाखिल विवरणी के साथ आरण्डडी सुविधा के लेखापरीक्षित लेखों के प्रस्तुतीकरण की शर्तों का पालन करे।

(पैराग्राफ 3.2.5)

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि आयकर कार्यवाइयों के दृष्टिकोण से खर्चों के आबंटन आदि जैसी सूचना एकत्र करने के लिए लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के वर्तमान प्रपत्र के संशोधन हेतु डीएसआईआर से परामर्श किया जाएगा। मंत्रालय ने आगे बताया (जनवरी 2015) कि दाखिल करने के लिए लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की ई-समर्थकारी की व्यवहार्यता की भी आईटीडी द्वारा जांच की जाएगी।

अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

भारतीय औषधि उद्योग गत कुछ वर्षों से प्रचुर वृद्धि⁴ का साक्षी हुआ है। उद्योग की मात्रा के अनुसार 3^{री} श्रेणी है और वैश्विक रूप से मूल्य के अनुसार 14^{वीं} श्रेणी है जिसके द्वारा मात्रा से विश्व के उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत और मूल्य से 1.5 प्रतिशत बन रहा है। ढांचागत विकास, प्रौद्योगिकी आधारित सृजन और उत्पादों की वृहत श्रेणी के अनुसार इसने आश्चर्यजनक वृद्धि दर्शाई है। बदलते परिवेश में इसने समृद्धि की अपनी विद्यमानता तथा दृढ़ता स्थापित की है। उद्योग अब जटिल विनिर्माण प्रौद्योगिकी की अपेक्षा वाली सभी प्रमुख चिकित्सक समूहों से सम्बन्धित थोक दवाइयों का उत्पादन करता है। वैश्विक रूप से इसकी सामान्य उत्पादन के अनुसार 4 थी और बल्क एक्टिवस तथा डोसेज फॉर्मस की निर्यात मात्रा के अनुसार 17^{वीं} श्रेणी है। भारतीय निर्यात यूएस, पश्चिम यूरोप, जापान तथा आस्ट्रेलिया के अत्यन्त सुव्यवस्थित बाजारों सहित विश्व के 200 से अधिक देशों को नियत हैं।

31 मार्च 2013 को समाप्त गत चार वर्षों के लिए दवाइयों, औषधियों तथा परिष्कृत रसायनों के निर्यात के हिस्से की तुलना में भारतीय औषधि उद्योग का वार्षिक टर्नओवर नीचे दिया गया है।

तालिका 1.1: निर्यात की तुलना में वार्षिक टर्नओवर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वार्षिक टर्नओवर	निर्यात	टर्नओवर से निर्यात की प्रतिशतता
2009-10	1,04,209	42,154	40.45
2010-11	1,04,944	47,551	45.31
2011-12	1,19,076	47,363	39.78
2012-13	1,21,016	55,693	46.02

स्रोत: वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक भारत सरकार रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय और औषधि विभाग की वार्षिक रिपोर्ट

⁴ 1990 में लगभग बिलियन अमरीकी डालर से 2010 में 20 बिलियन अमरीकी डालर की पण्यावर्त वृद्धि जिसका निर्यात पण्यावर्त लगभग 8 बिलियन अमरीकी डालर है (औषध विभाग की रिपोर्ट के अनुसार)

उद्योग ने भिन्न डोसेज फॉर्मस के उत्पादन हेतु श्रेष्ठ अच्छी विनिर्माण पद्धतियां (जीएमपी) अनुपालनकर्ता सुविधाएं विकसित की हैं। उद्योग की दृढ़ता गुणवत्ता से समझौता किए बिना ड्रग इंटरमीडिएट्स और थोक कार्यकलापों के लिए कम से कम सम्भावित समय में विकासशील लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी की अवस्था में है। यह जैव रसायन संश्लेषण तथा प्रक्रिया इंजीनियरी में देश की सुदृढ़ता के माध्यम से साधित किया जाता है। इसके कारण घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों दोनों में मांग में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप 2007 में 11^{वीं} योजना के आरम्भ से लगभग ₹ 71,000 करोड़ से 2012-13 में ₹ 1,21,015 करोड़ से अधिक की प्रचुर वृद्धि हुई है जिसमें घरेलू बाजार का ₹ 65,323 करोड़ और ₹ 55,692 करोड़⁵ से अधिक का निर्यात शामिल है जिससे यह सरकारी राजस्व की अनुकूल सम्भावना के साथ एक विशाल आर्थिक क्षेत्र बना है।

1.2 हमने यह विषय क्यों चुना

गत चार वर्षों में औषधि क्षेत्र में प्रचुर वृद्धि और वित्तीय प्रोत्साहनों अर्थात् आयकर अधिनियम में कारोबार लाभों के प्रति कटौती और उत्पाद शुल्क तथा राज्य वैट की रियायती दर के रूप में सरकारी सहायता को ध्यान में रखकर हमने इसे यह आश्वासन कि आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) के अन्तर्गत औषधि क्षेत्र को स्वीकार्य छूटे तथा कटौतियाँ हकदारी के अनुसार अनुमत की गई हैं और कर रियायतों से संबंधित प्रावधानों के सम्भावित दुरुपयोग के क्षेत्र में आवश्यक रोकथाम/नियंत्रण करने के लिए उचित तन्त्र विद्यमान है, प्राप्त करने के लिए निष्पादन मूल्यांकन हेतु औषधि क्षेत्र को चुनना उपयुक्त माना।

पूर्व में हमने वर्ष 2001⁶ में औषधि क्षेत्र में कम्पनियों के कार्यचालन का निष्पादन मूल्यांकन किया है जिसमें हमने अधिनियम के अनुपालन विषयों से सम्बन्धित मामलों को उठाया था। तथापि लोक लेखा समिति ने चर्चा हेतु इस प्रतिवेदन का चयन नहीं किया था। वर्तमान समीक्षा का अधिनियम के अनुपालन पहलू तथा औषधि क्षेत्र के निर्धारितियों के निर्धारणों से सम्बन्धित प्रणालीगत विषयों पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए चयन किया गया था।


5 दवाइयों तथा औषधियों पर योजना आयोग कार्यचालन समूह

6 वर्ष 2001-02 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2003 की प्रतिवेदन संख्या 13 - प्रत्यक्ष कर)

1.3 संगठनात्मक ढांचा

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के भाग के रूप में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) प्रत्यक्ष करों के प्रशासन से भारित शिखर निकाय है। सीबीडीटी का अध्यक्ष मुख्य है और छः सदस्यों से बना है। कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त अध्यक्ष तथा सदस्य जोन के रूप में ज्ञात सीबीडीटी के क्षेत्रीय कार्यालयों पर निरीक्षक नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी हैं। पुनर्गठन की योजना में प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर (पीसीसीआईटी) प्रत्येक जोन का संवर्ग नियंत्रण अधिकारी है जिसका क्षेत्राधिकार सामान्यतया राज्य से कोटर्मिनस है। विभिन्न फार्मेशनों का पदक्रम दर्शाने वाला सीबीडीटी का संगठन ग्राफ 1.1 में दर्शाया गया है।

ग्राफ 1.1 संगठन सीबीडीटी का आर्गेनोग्राम



1.4 कानूनी प्रावधान

औषधि उद्योग मुख्यतया आरण्डडी उन्मुख उद्योग है और इसकी अधिकांश यूनिटें कुछ विशिष्ट श्रेणी राज्यों में स्थित हैं। वर्षों से उद्योग द्वारा निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि भी की है। औषधि क्षेत्र में लगे निर्धारित अधिनियम सभी प्रावधानों द्वारा शासित किए जाते हैं जो निर्धारितियों को लागू हैं। तथापि ये निर्धारिती मुख्यता धारा 35(1)(iiए), 35(2एबी), 10बी तथा 80आईसी के अन्तर्गत कटौतियों का लाभ ले रहे हैं जिन पर नीचे तालिका में चर्चा की गई है:

धारा 35(1)(iiए)	निर्धारित शर्त पूरी करने के अध्यक्षीन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाली कम्पनी को प्रदत्त किसी राशि के 125 प्रतिशत की कटौती।
धारा 35(2एबी)	जैव प्रौद्योगिकी के कारोबार में अथवा किसी सामान अथवा वस्तु जो सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान (डीएसआईआर), भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित आन्तरिक अनुसंधान तथा विकास सुविधा पर वैज्ञानिक अनुसंधान (किसी भूमि अथवा भवन की लागत के स्वरूप में खर्च न होने पर) की ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में निर्दिष्ट सामान अथवा वस्तु नहीं है, के विनिर्माण अथवा उत्पादन के किसी कारोबार में कम्पनी द्वारा खर्च किए गए व्यय के 200 प्रतिशत की कटौती।
धारा 10बी	निर्धारित शर्त को पूरा करने के अध्यक्षीन सामान अथवा वस्तु अथवा कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से 100 प्रतिशत निर्यातान्मुख उपक्रम द्वारा व्युत्पन्न लाभ तथा अभिलाभ की कटौती।
धारा 80आईसी	निर्धारिती की कुल आय की संगणना में उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट लाभ तथा अभिलाभ की कटौती अनुमत की जाएगी जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में इस धारा के प्रावधानों के अनुसार तथा के अध्यक्षीन उपधारा (2) में संदर्भित किसी कारबार से किसी उपक्रम अथवा उद्यम द्वारा व्युत्पन्न कोई लाभ तथा अभिलाभ शामिल होता है।

कर प्रयोजनों हेतु अधिनियम द्वारा शासित किए जाने के अतिरिक्त औषधि क्षेत्र के नियंत्रित भारतीय चिकित्सा परिषद और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग जैसे निकायों द्वारा भी नियंत्रित किए जाते हैं। हमने वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा करने में सीबीडीटी द्वारा जारी निर्देशों के साथ उपर्युक्त निकायों/विभागों द्वारा जारी मार्गनिर्देशों/निर्देशों को सहसम्बन्धित किया है।

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

समीक्षा निम्न पर ध्यान केन्द्रित को अभिप्रेत है

- क. क्या औषधि क्षेत्र को स्वीकार्य छूटें तथा कटौतियां हकदारी के अनुसार अनुमत की गई हैं।
- ख. क्या औषधि क्षेत्र के कराधान हेतु प्रशासनिक तथा प्रक्रियात्मक पर्याप्तता विद्यमान है।

ग. क्या औषधि क्षेत्र में निर्धारितियों को अनुसंधान तथा विकास (आरण्डडी) व्यय की कटौती ने उद्योग में तथा कर राजस्व में वृद्धि को सहयोग किया है।

1.6 लेखापरीक्षा क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा में औषधि क्षेत्र से सम्बन्धित 2010-11 से 2013-14 और निर्धारितियों की लेखापरीक्षा की तारीख (सितम्बर 2014) तक की अवधि के दौरान पूर्ण किए कर निर्धारणों को शामिल किया गया। प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियों के मामले में पूर्व निर्धारण वर्षों के निर्धारण अभिलेखों को भी, जहां आवश्यक पाया गया, जांच/सम्बद्ध किए गए थे।

1.7 नमूना आकार

हमने औषधि निर्धारितियों के संबंध में महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) द्वारा प्रस्तुत डाटा और चयनित निर्धारण प्रभार के मांग एवं संग्रहण रजिस्टर (डीएण्डसीआर) फिल्टर्ड तथा अलग-अलग किया है। चयनित यूनिटों के अन्दर हमने इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए औषधि क्षेत्र के निर्धारितियों से सम्बन्धित संवीक्षा निर्धारणों के सभी मामलों का चयन किया। हमने पूरे भारत में स्थित आयकर विभाग (आईटीडी) की निर्धारण यूनिटों से 3,432 निर्धारण अभिलेखों की मांग की। तथापि आईटीडी ने प्रस्तुत किए और हमने 2,868 (83.57 प्रतिशत) निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा की।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिबंध

आईटीडी के पास क्षेत्र वार निर्धारितियों की पहचान के लिए अलग डाटाबेस नहीं था। इससे औषधि क्षेत्र में लगे निर्धारितियों के निर्धारण अभिलेखों का चयन बाधित हुआ। परिणामस्वरूप नमूना आकार आईटीडी के पास उलब्ध डाटा की मात्रा तक सीमित किया गया था और सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा अनुरक्षित मांग तथा संग्रहण रजिस्टर और डीजीआईटी (प्रणाली) से प्राप्त डाटा, जो पूर्ण भी नहीं था, से लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारितियों की पहचान की गई। इसलिए औषधि क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण मामले ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा के क्षेत्र से बाहर भी रह सकते हैं।

1.9 आभार

हम इस निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में आवश्यक अभिलेख तथा सूचना प्रस्तुत करके लेखापरीक्षा को सूचारू रूप से करने में आईटीडी के सहयोग का आभार व्यक्त करते हैं। सीबीडीटी के साथ 11 जुलाई 2014 को एंटी कान्फ्रेंस

आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा का क्षेत्र और लेखापरीक्षा जांच के मुख्य केन्द्र क्षेत्र स्पष्ट किए गए थे।

हमने उनकी टिप्पणियों के लिए दिसम्बर 2014 में मंत्रालय को मसौदा प्रतिवेदन जारी किया। जनवरी 2015 में मंत्रालय का उत्तर प्राप्त होने के बाद हमने मंत्रालय की टिप्पणियों की तुलना में अपने निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए 15 जनवरी 2015 को एक्जिट काफ्रेंस आयोजित की थी। हमने मंत्रालय के विचार और उन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां सम्मिलित करके उनकी आगे की टिप्पणियों के लिए जनवरी 2015 में दोबारा मसौदा प्रतिवेदन जारी किया। 29 जनवरी 2015 को मंत्रालय से हमें आगे टिप्पणियां प्राप्त हुईं जिन्हें प्रतिवेदन में उन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ उचित प्रकार समाविष्ट किया गया है।

अध्याय II: प्रणालीगत विषय तथा आन्तरिक नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) औषधि क्षेत्र से संबंधित कुछ विशेष कटौतियों का प्रावधान करता है। हमारे सामने ऐसे मामले आए जहां अधिनियम के कुछ प्रावधानों के अपूर्ण, अस्पष्ट तथा द्विअर्थी होने के कारण निर्धारितियों को अनभिप्रेत लाभ दिए गए थे। वर्तमान अध्याय औषधि क्षेत्र से सम्बन्धित निर्धारितियों के संबंध में आईटीडी द्वारा सर्वांगी विषयों और आन्तरिक नियंत्रण/निगरानी तन्त्र से संबंध रखता है।

आईटीडी ने औषधि क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहनों के डाटा का रखरखाव नहीं किया इसलिए लेखापरीक्षा, उद्योग की वृद्धि में और अन्ततः प्रोत्साहन के पीछे के उद्देश्यों को पूरा करने में छोड़े गए राजस्व का प्रभाव निर्धारित करने में समर्थ नहीं है।

2.2 औषधि क्षेत्र को छोड़े गए राजस्व का प्रभाव

किसी कर कानून तथा इसके प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी खर्च के वित्तपोषण के प्रयोजन हेतु राजस्व अर्जित करना है। एकत्रित राजस्व की राशि सामूहिक कर आधार तथा प्रभावी कर दरों पर निर्भर है। इन दो घटकों के निर्धारक उपायों की एक श्रेणी है जिसमें विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियां, बट्टे, स्थगन तथा उधार शामिल होते हैं। ये उपाय सामूहिक रूप से 'कर अधिमान' अथवा 'कर व्यय' के रूप में जाने जाते हैं। वे सरकारी राजस्व पर प्रभाव डालते हैं और सरकार की महत्वपूर्ण नीति को भी प्रदर्शित करते हैं।

भारत सरकार के प्राप्त बजट में "छोड़े गए राजस्व का विवरण" नामक एक अलग बजट दस्तावेज शामिल होता है। यह विवरण कर प्रोत्साहनों अथवा कर उपदान के राजस्व प्रभाव की सूची की मांग करता है जो कर प्रणाली का एक भाग है। हमने वैज्ञानिक अनुसंधान (धारा 35 (1) (2एए) एवं (2एबी) पर व्यय की कटौती/भारित कटौती, निर्धारितियों को सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80आईसी) के रूप में छोड़े गए राजस्व के कारण सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों से सम्बन्धित निम्नवत सूचना एकत्रित की:

तालिका 2.1: 2006-07 से 2012-13 तक छोड़ा गया राजस्व

(₹ करोड़ में)			
वर्ष	धारा 35(1), (2एए) एवं (2एबी) एवं 80आईसी के अन्तर्गत छोड़ा गया राजस्व	गत वर्ष की तुलना में छोड़े गए राजस्व में वृद्धि	गत वर्ष से प्रतिशतता वृद्धि
2006-07	4,877	--	--
2007-08	7,085	2,208	45.27
2008-09	8,055	970	13.69
2009-10	9,290	1,235	15.33
2010-11	12,354	3,064	32.98
2011-12	13,968	1,614	13.06
2012-13	14,708	741	5.30
2013-14	16,443	1,735	11.80
(अनुमानित)			
कुल	86,781		

स्रोत: वर्ष 2006-07 से 2012-13 तक के प्राप्त बजट

चूँकि प्राप्त बजट में कुल कर राजस्व तथा औषधि क्षेत्र को छोड़े गए राजस्व से सम्बन्धित कोई सूचना/डाटा उपलब्ध नहीं था इसलिए औषधि क्षेत्र को प्रदत्त कटौतियों के कारण छोड़े गए राजस्व, निगरानी तंत्र तथा, अनुमत कटौती का प्रभाव विश्लेषण तथा औषधि क्षेत्र के निर्धारितियों से संबंधित क्षेत्रवार/राज्य वार डाटा से सम्बन्धित सूचना सीबीडीटी/राजस्व विभाग से मांगी गई थी (अगस्त 2014)।

सीबीडीटी ने बताया है (सितम्बर 2014) कि यह सूचना औषधि उद्योग से संबंध रखती है और सीबीडीटी के सम्बन्धित विभाग(टीपीएल) एवं आईटीए) ऐसे अभिलेख अनुरक्षित नहीं करते हैं।

आईटीडी औषधि क्षेत्र के निर्धारितियों का पूर्ण क्षेत्र वार डाटा नहीं रखता है।

2.3 आयकर विभाग में क्षेत्र वार डाटा

नाम, पता, टेलीफोन नम्बर वाली राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) औषधि विभाग द्वारा प्रकाशित औषधि क्षेत्र में लगे विनिर्माण यूनिटों की एक सूची निर्धारितियों का पैन तथा क्षेत्राधिकार प्रभार बताने के लिए आईटीडी के भेजी गई थी। औषधि क्षेत्र में लगे निर्धारितियों के क्षेत्राधिकार वार डाटाबेस के अभाव में लेखापरीक्षा को औषधि क्षेत्र के निर्धारितियों का पता लगाने के लिए अपनी ऐतिहासिक जानकारी पर भरोसा करना पड़ा था। लेखापरीक्षा ने '0105 - दवाईयां तथा औषधियां' कोड के अन्तर्गत विवरणी दाखिल करने वाले निर्धारितियों का आईटीडी के डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा अनुरक्षित निर्धारण

सूचना प्रणाली (एआईएस) से भी डाटा प्राप्त किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा दिया गया डाटा अपूर्ण था क्योंकि भारत में औषधि विनिर्माण यूनिटों की डाइरेक्टरी में दर्शाई गई अनेक औषधि विनिर्माण यूनिटें डाटाबेस में विद्यमान नहीं थीं।

हमने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन औषधि विभाग से औषधि क्षेत्र (विनिर्माण/वितरक/भण्डारक) में लगे निर्धारितियों से सम्बन्धित सूचना की मांग की। हमने यह जांच करने कि क्या राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा औषधि विनिर्माण यूनिटों की डाइरेक्टरी प्रकाशित की जाती है, की भी मांग की थी (जुलाई 2014)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

हमने औषधि नियंत्रण विभाग (डीसीडी) के कार्यालय से औषधि क्षेत्र में लगे निर्धारितियों के डाटा से सम्बन्धित सूचना की भी मांग की (अगस्त 2014)। डीसीडी ने बताया (सितम्बर 2014) कि एनसीटी दिल्ली के औषधि विनिर्माता तथा भण्डारक/वितरकों के लाइसेंस के संबंध में पैन, कुल आय, कुल बिक्री, कुल निर्यात, उत्पाद शुल्क पंजीकरण संख्या आदि से सम्बन्धित कोई डाटा उनके पास नहीं है।

इस प्रकार औषधि विभाग तथा डीसीडी के साथ-साथ आईटीडी ने पूर्ण क्षेत्र वार/उद्योग वार डाटा अनुरक्षित नहीं किया था। क्षेत्र/व्यापार वार डाटा के अभाव में नीति नियंत्रण, विशेष क्षेत्र/व्यापार पर छोड़ा गया राजस्व, कर राजस्व में ऐसे क्षेत्र के सहयोग और ऐसे क्षेत्र का सहयोग उनकी वृद्धि के अनुरूप है आदि से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने में यह समर्थ नहीं होगा।

आईटीडी ने डीएसआईआर जो अनुमोदनकर्ता प्राधिकरण है, से अनुमोदन की प्राप्ति से पूर्व अधिनियम की धारा 35 (2एबी) के अन्तर्गत आरएण्डडी पर भारित कटौती अनुमत की।

2.4 डीएसआईआर से अनुमोदन की प्रतीक्षा में आरएण्डडी व्यय की अनुमति

धारा 35 (2एबी) के अन्तर्गत किसी कम्पनी द्वारा आन्तरिक आरएण्डडी सुविधा पर किए गए व्यय का अनुमोदन शामिल करता है कि निर्धारित प्राधिकरण अपना अनुमोदन देने के साठ दिनों के अन्दर महानिदेशक आयकर (छूट) को फार्म 3सीएल में आन्तरिक आरएण्डडी सुविधा द्वारा व्यय के अनुमोदन के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह भी अनुबद्ध किया जाता है कि कम्पनी प्रत्येक अनुमोदित सुविधा के लिए अलग लेखे का अनुरक्षण करेगी जिसकी

वार्षिक लेखापरीक्षा होगी और उसकी एक प्रति प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के 31 अक्टूबर तक निर्धारित प्राधिकारी को भेजी जाएगी। यद्यपि डीएसआईआर को अपना अनुमोदन देने के 60 दिनों के अन्दर डीजीआईटी (छूट) को फार्म 3सीएल प्रस्तुत करना है परन्तु इसका डीएसआईआर के मार्गनिर्देशों में कही भी यह उल्लेख नहीं किया जाता है कि फार्म 3सीएल जारी करने की समय रेखा क्या है। अधिनियम के अन्तर्गत आय की विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन न करने वाली कम्पनी के सम्बन्ध में 30 सितम्बर है। इस प्रकार कम्पनियां डीएसआईआर का अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व आय की अपनी विवरणी में आरण्डडी व्यय का दावा करती हैं। कारण यह है कि ऐसी निर्धारिती कम्पनियों की आय की विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख डीजीआईटी (छूट) को डीएसआईआर द्वारा अनुमोदित फार्म 3सीएल को भेजने की तारीख अर्थात् 31 दिसम्बर से पूर्व है। इसलिए निर्धारिती कम्पनियों द्वारा आरण्डडी व्यय के दावे किए जाते हैं और डीएसआईआर द्वारा ऐसा व्यय अनुमोदित किए जाने से पूर्व संक्षिप्त संसाधन में आईटीडी द्वारा अनुमत किए जाते हैं (बाक्स 2.1 देखें)।

बाक्स 2.1: दावित तथा अनुमत आरण्डडी व्यय के निदर्शी मामले यद्यपि ऐसे व्यय को अनुमोदन नहीं दिया गया था

प्रभार	: सीआईटी II, दिल्ली
निर्धारिती	: मोदी मुंडीफार्मा प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2011-12
पैन	: AAACM2303F

जनवरी 2014 में पूर्ण निर्धारण वर्ष 2011-12 में निर्धारिती ने ₹ 3.15 करोड़ का धारा 35 (2एबी) के अन्तर्गत भारित कटौती का दावा किया और आईटीडी ने अनुमत किया। हमने देखा कि एओ ने फार्म 3सीएल का सत्यापन किए बिना दावा अनुमत किया क्योंकि फार्म 3सीएल डीएसआईआर द्वारा अप्रैल 2014 में जारी किया गया था। इस प्रकार आईटीडी ने डीएसआईआर के अनुमोदन से पूर्व धारा 35 (2एबी) के अन्तर्गत भारित कटौती अनुमत की। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

इस प्रकार आईटीडी ने डीएसआईआर के अनुमोदन से पूर्व भारित कटौती अनुमत की। डीजीआईटी (छूट) को डीएसआईआर द्वारा अनुमोदित फार्म 3सीएल भेजने की तारीख आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख से पूर्व होनी चाहिए।

आईटीडी ने फार्म 3सीएल/3सीएम में वैज्ञानिक और अनुसंधान विभाग द्वारा अनुमोदित व्यय के ब्यौरे सत्यापित किए बिना अधिनियम की धारा35 (2एबी) के अन्तर्गत आरण्डडी व्यय पर भारित कटौती अनुमत की।

2.5 धारा 35(2एबी) के अन्तर्गत आरण्डडी व्यय की भारित कटौती की अनुमति

धारा 35 (2एबी) जैव प्रौद्योगिकी अथवा अधिनियम की ग्यारहवी अनुसूची की सूची में निर्दिष्ट के अतिरिक्त किसी सामान अथवा वस्तु के विनिर्माण अथवा उत्पादन के कारोबार में लगी कम्पनी के लिए निर्धारित अधिकारी⁷ द्वारा यथा अनुमोदित आन्तरिक आरण्डडी सुविधा द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान (भूमि अथवा भवन की खरीद पर व्यय को छोड़कर) पर किए गए व्यय के दो गुने की कटौती का प्रावधान करती हैं। अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित कम्पनी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) को अनुबन्ध का आवेदन भेजती है। नियत प्रक्रिया के बाद डीएसआईआर कम्पनी को फार्म 3 सीएम में आरण्डडी सुविधा का अनुमोदन देता है और महानिदेशक आयकर (छूट) को फार्म 3 सीएल में अपनी रिपोर्ट और अनुमोदित व्यय के ब्यौरे भेजता है। डीजीआईटी (छूट) को सम्बन्धित सीसी(एस)आईटी/सीआईटी को ऐसी रिपोर्ट (फार्म 3 सीएम/3सीएल) भेजनी पड़ती है। फार्म 3 सीएल में आन्तरिक अनुसंधान सुविधा की कुल लागत और गत 3 वर्षों के दौरान कम्पनी के पास उत्पादों के वार्षिक उत्पादन के भी ब्यौरे शामिल होते हैं। सीसीआईटी/सीआईटी को सम्बन्धित क्षेत्राधिकार एओ को ऐसी रिपोर्टें भेजनी पड़ती हैं। जो अनुबन्ध शर्तों के अध्याधीन भारित कटौती अनुमत करता है।

हमने पाया कि सीसी(एस)आईटी/सीएसआईटी ने निर्धारितियों द्वारा दावित आरण्डडी व्यय की कटौती की प्रमाणिकता के सत्यापन के लिए एओज को फार्म 3 सीएल/3 सीएम की प्रति नहीं भेजी है। आईटीडी ने फार्म 3 सीएल जिसमें निर्धारित प्राधिकरण अर्थात् डीएसआईआर आन्तरिक अनुसंधान पर किए गए व्यय का अनुमोदन करता है, का सत्यापन किए बिना कटौती अनुमत की है। इसके परिणामस्वरूप 6 राज्यों⁸ के 14 मामलों में ₹ 456.99 करोड़ की हानि (सम्भावित हानि सहित) हुई (बाक्स 2.2 देखें)।

⁷ निर्धारित अधिकारी सचिव डीएसआईआर है।

⁸ महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिलनाडु, आंध्रप्रदेश, बिहार, कर्नाटक

बॉक्स 2.2: फार्म 3सीएल के साथ आरएण्डडी आंकड़ों की प्रतिकूलता के निदर्शी मामले

क. प्रभार	: सीआईटी 1, पटना
निर्धारिती	: अलकेम लेबोटेरीज़ लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2010-11
पैन	: AABCA9521E

निर्धारिती ने ₹ 67.91 करोड़ का धारा 35(2 एबी) के अन्तर्गत कटौती का दावा किया जो आईटीडी ने अनुमत किया। तथापि अनुवर्ती निर्धारण वर्ष 2011-12 की संवीक्षा के संबंध में एओ द्वारा प्रतिक्रिया में डीएसआईआर ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि निर्धारिती ने डीएसआईआर को आरएण्डडी खर्चों के ब्यौरे प्रस्तुत न करके शर्तों का उल्लंघन किया था और इसलिए अनुमोदन मार्च 2009 के आगे नहीं बढ़ाया गया था। यदि आईटीडी ने निर्धारण वर्ष 2010-11 की संवीक्षा (मार्च 2013) के समय पर ही फार्म 3 सीएल सुनिश्चित किया होता तो ऐसी भारित कटौती को अस्वीकृत किया जा सकता था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 23.08 करोड़ के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ उसी सीमा तक अवनिर्धारण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (जुलाई 2014)।

ख. प्रभार	: सीआईटी 1, चेन्नई
निर्धारिती	: स्पिक लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2010-11
पैन	: AAACS4668K

निर्धारिती के ₹ 55.02 लाख के वास्तविक खर्चों के प्रति धारा 35 (2 एबी) के अन्तर्गत कटौती के रूप में ₹ 82.53 लाख का दावा किया था। कटौती का दावा फार्म 3 सीएल में अनुमोदित व्यय की पुष्टि किए बिना अनुमत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 82.53 लाख की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 24.76 लाख का सम्भवित कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ग. प्रभार	: सीआईटी-मध्य-हैदाराबाद
निर्धारिती	: हेटरो ड्रग्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2009-10
पैन	: AAACH5071K

निर्धारिती ने आरएण्डडी व्यय के प्रति ₹ 22.93 करोड़ और धारा 35 (2 एबी) के अन्तर्गत भारित कटौती के प्रति ₹ 34.40 करोड़ का दावा किया और आईटीडी ने फार्म 3 सीएल में व्यय की पुष्टि किए बिना उसे अनुमत किया था। इसलिए निर्धारिती ₹ 11.47 करोड़ (₹ 34.40 करोड़ (-) ₹ 22.92 करोड़) की भारित कटौती का हकदार नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.85 करोड़ की परिणामी कम मांग के साथ उतनी आय की कम संगणना हुई।

आईटीडी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि डीएसआईआर ने जुलाई 2013 में नि. व. 2009-10 से नि. व. 2011-12 तक से संबंधित सूचना की जांच की और आदेश दिनांक 23 जुलाई 2013 के तहत 31 मार्च 2015 तक नवीकरण मंजूर किया। तथापि यह देखा गया था कि नि. व. 2010-11 से नि. व. 2012-13 तक से सम्बन्धित व्यय प्रमाणित किया गया था और नि. व. 2009-10 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणित करने वाला कोई फार्म 3 सीएल लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

घ. प्रभार : सीआईटी v दिल्ली
निर्धारिती : रैनबैकसी लेबोरेटरीज लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2008-09 to 2009-10
पैन : AAACR0127N

निर्धारिती ने 2008-09 तथा 2009-10 निर्धारण वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 670.80 करोड़ तथा ₹ 645.50 करोड़ का धारा 35 (2एबी) के अन्तर्गत आरण्डडी व्यय की भारत कटौती का दावा किया और आईटीडी ने उसे अनुमत किया था। कटौती का दावा फार्म 3सीएल में अनुमोदित व्यय का सत्यापन किए बिना अनुमत किया गया था। निर्धारिती ने आन्तरिक अनुसंधान तथा विकास सुविधा का फार्म 3 सीएम में अनुमोदन प्रस्तुत किया है जो केवल आरण्डडी सुविधा की मान्यता का अनुमोदन है। इसके परिणामस्वरूप उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें क्रमशः ₹ 228 करोड़ तथा ₹ 193.65 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

इस प्रकार आरण्डडी खर्च फार्म 3 सीएल/3 सीएम में अनुमोदित व्यय की पुष्टि किए बिना अनुमत किए गए हैं।

हमने महाराष्ट्र में ₹ 10.23 करोड़ के कर प्रभाव वाले और 6 अन्य समान मामले देखे कि निर्धारिती कम्पनियों से सम्बन्धित डीएसआईआर वेबसाइट में प्रदर्शित आरण्डडी आंकड़े धारा 35 (2 एजी) के अन्तर्गत कटौती योग्य के रूप में दावित संख्याओं की अनुरूपता में नहीं हैं (देखें बॉक्स 2.3)।

बॉक्स 2.3: डीएसआईआर वेबसाइट के अनुसार आरण्डडी आंकड़ों की अनुरूपता के निदर्शी मामले

प्रभार : सीआईटी मध्य III मुम्बई
निर्धारिती : इण्डोको रेमेडीज लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2011-12
पैन : AAACI0380C

निर्धारिती ने ₹ 40.50 करोड़ का धारा 35 (2 एबी) के अन्तर्गत आरण्डडी व्यय की भारत कटौती का दावा किया और आईटीडी ने अनुमत किया। तथापि डीएसआईआर वेबसाइट के अनुसार निर्धारिती केवल ₹ 13.43 करोड़ की कटौती का पात्र था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.07 करोड़ के आरण्डडी व्यय की भारत कटौती की अधिक

अनुमति हुई जिसके कारण ₹ 8.12 करोड़ के कर के परिणामी कम उदग्रहण के साथ उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ।

उत्तर में आईटीडी ने डीएसआईआर द्वारा विधिवत प्रमाणित फार्म 3 सीएल अग्रेषित किया और बताया कि निर्धारिती द्वारा उसे संवीक्षा निर्धारण के दौरान प्रस्तुत किया था। परन्तु वह आईटीडी द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। तथापि डीएसआईआर द्वारा जारी फार्म 3 सीएल के अनुसार यह देखा गया कि निर्धारिती ने नि. व. 2010-11 और 2011-12 के लिए निर्धारिती द्वारा दावित ₹ 18.27 करोड़ तथा ₹ 21.64 करोड़ के प्रति क्रमशः केवल ₹ 17.61 करोड़ तथा ₹ 20.37 करोड़ की भारित कटौती का पात्र था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.94 करोड़ की भारित कटौती की अधिक अनुमति हुई जिसके कारण ₹ 58.20 लाख के परिणामी कम उदग्रहण के साथ उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ।

हमने महाराष्ट्र में एक निर्धारिती के दो मामलों में यह भी देखा कि निर्धारिती ने धारा 35 (2 एबी) के अन्तर्गत ₹ 103.37 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 344.55 करोड़ की कटौती का दावा किया जबकि डीएसआईआर की वार्षिक रिपोर्ट में अनुमोदित आरण्डडी व्यय की सूची में उनका नाम नहीं था (देखे बॉक्स 2.4)।

बॉक्स 2.4 दावित तथा अनुमत आरण्डडी व्यय के निदर्शी मामले यद्यपि ऐसे व्यय के अनुमोदन अनुमोदित/डीएसआईआर के पास लम्बित नहीं हैं।

प्रभार	: सीआईटी VII, मुम्बई
निर्धारिती	: पीरामल लाइफ साइंस लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2009-10 और 2010-11
पैन	: AABCN8532E

निर्धारित ने दावा किया और आईटीडी ने दस्तावेजों के सत्यापन अथवा विस्तृत संवीक्षा के बिना निर्धारिती कम्पनी को ₹ 344.55 करोड़ का आरण्डजी व्यय अनुमत किया। कटौती की प्रमाणिकता/यथातथ्यता का सत्यापन करने के उद्देश्य से हमने डीएसआईआर वेबसाइट की खोज की। इनका नाम विभिन्न निर्धारितियों का अनुमोदित आरण्डडी व्यय दर्शाने वाली डीएसआईआर की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित नहीं था जिसमें ₹ 103.37 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

इसलिए आईटीडी ने व्यय की प्रामाणिकता का सत्यापन किए बिना और डीएसआईआर के अनुमोदन बिना निर्धारितियों को अस्वीकार्य आरण्डडी व्यय अनुमत किया। आईटीडी ने एओज को फार्म 3 सीएल/3 सीएम उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रक्रिया भी निर्धारित नहीं की है। आईटीडी ने आईटीआर के साथ फार्म 3सीएल/3सीएम संलग्न करने को भी अनिवार्य नहीं बनाया है।

औषधि कम्पनियों ने अधिनियम की धारा 194 सी में अपवर्जन खण्ड का लाभ उठाकर ठेका विनिर्माताओं को किए गए भुगतानों पर टीडीएस काटने का परिहार किया

2.6 उत्पादों के विनिर्माण कम्पनियों के साथ निर्धारिती कम्पनी द्वारा किए गए ठेके के संबंध में टीडीएस की कटौती

ठेकेदार तथा किसी निर्धारिती के बीच ठेका के अनुसरण में किसी कार्य को करने के लिए ठेकेदार को भुगतान से दो प्रतिशत की दर पर टीडीएस की कटौती का अधिनियम की धारा 194 सी में प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 194 सी के व्याख्या में अपवर्जन खण्ड के साथ पठित सीबीडीटी परिपत्र⁹ के अनुसार 'कार्य' में ऐसे ग्राहक से खरीदे माल का उपयोग कर ग्राहक की आवश्यकता/विनिर्देशन के अनुसार ठेकेदार द्वारा उत्पाद का विनिर्माण शामिल किया गया परन्तु 'कार्यठेका' के परिश्रम में ऐसा विनिर्माण शामिल नहीं किया यदि माल ग्राहक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से खरीदा गया है।

हमने देखा कि औषधि कम्पनियों ने ठेका विनिर्माताओं को सीधे मात्र कच्चा माल आपूर्ति न करने के द्वारा ऐसे ठेकों को आपूर्ति ठेकों के रूप में माना और धारा 194 सी के अपवर्जन खण्ड का लाभ लेकर टीडीएस का भुगतान नहीं किया। परन्तु उन्होंने खरीदे जाने वाले कच्चे माल के स्रोत तथा मूल्य, निरीक्षण के अधिकार और उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण, नियंत्रित अन्तिम मूल्य तथा एकमात्र खरीद अधिकार आदि के बारे में ठेकेदारों के लिए शर्तों को बाध्यकारी बना दिया। ऐसे ठेकों की समाप्ति पर ठेका विनिर्माता को तकनीकी जानकारी तथा सभी पेपर, दस्तावेज, डाटा आदि औषधि कम्पनी को वापस करने अपेक्षित थे। इस प्रकार विनिर्माण प्रक्रिया का सम्पूर्ण नियंत्रण औषधि कम्पनी के पास रहा जिसने इसे केवल कार्य ठेका बना दिया जिस पर टीडीएस कटता है।

इसके अलावा कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आईटीडी के विचार¹⁰ का समर्थन किया कि ऊपर उल्लिखित समान शर्तों तथा निबन्धनों पर विनिर्माण कम्पनी द्वारा उत्पादों को तैयार करने के लिए विनिर्माण कम्पनी के साथ औषधि कम्पनियों द्वारा किया गया ठेका कार्य के लिए ठेका था और बिक्री के लिए ठेका नहीं अतः टीडीएस काटा जाना है।

⁹ सीबीडीटी परिपत्र संख्या 1994 का 681

¹⁰ सीआईटी मध्य परिमण्डल बनाम नोवा नार्डिक फार्मा इण्डिया लिमिटेड (2012) 18 टैक्समैन.com 285(कर्नाटक)

इस प्रकार कर की सुसंगत राशि कटौतीकर्ताओं के माध्यम से ऐसे विनिर्माताओं से अग्रिम में संग्रहीत नहीं की गई थी। अलग-अलग ठेका ब्यौरों के अभाव में निम्नलिखित मामले में कटौती योग्य टीडीएस की राशि हम परिकलित नहीं कर सके (देखें बाक्स 2.5)।

बाँक्स 2.5 उत्पाद तैयार करने के लिए विनिर्माण कम्पनियों के साथ निर्धारिती कम्पनी द्वारा किए गए ठेका के संबंध में टीडीएस न काटने के निदर्शी मामले

प्रभार	: सीआईटी VII मुम्बई
निर्धारिती	: फाइजर लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2010-11
पैन	: AAACP3334M

महाराष्ट्र में निर्धारिती ने स्नेहल फूड्स एण्ड फीड्स, मेडीबाओज लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, केमवेल प्राई. लिमिटेड और गेनो फार्मास्युटिकल लिमिटेड जैसे विनिर्माताओं के साथ अपने पेटेन्ट औषधि उत्पादों के विनिर्माण हेतु अनुबन्ध किया। अनुमोदित स्रोतों को सूची से कच्चा माल खरीदने से पूर्व निर्धारित मूल्यों पर फाइजर लिमिटेड द्वारा यथा आदेशित उत्पादों की विशेष मात्राओं की बिक्री की अनुबन्ध शर्तों में खरीदने की स्वतन्त्रता थी और न ही अन्य ग्राहकों को विनिर्मित उत्पाद बचने अथवा स्वयं मूल्य निर्धारित करने की स्वतन्त्र थी। तथापि फाइजर लिमिटेड इन ठेकों को बिक्री ठेकों के रूप में मान कर विनिर्माता द्वारा किए गए कार्यों के मूल्य पर टीडीएस कटौती नहीं कर रहा था। सही ब्यौरों की अनुपलब्धता के कारण अवनिधारण/कर प्रभाव का परिमाण नहीं किया जा सका।

निर्धारितियों ने 80 आईसी कटौती का अदेय लाभ लेने के लिए फर्म के भागीदारों को वेतन तथा ब्याज से सम्बन्धित अस्पष्ट प्रावधान का अनुचित लाभ लिया।

2.7 भागीदारी फर्म के संबंध में अधिक कटौती की अनुमति

धारा 80 आईसी की उपधारा 7 के साथ पठित धारा 80 आईए की उपधारा 10 प्रावधान करती है कि जहाँ एओ को यह प्रतीत होता है कि पात्र कारोबार करने प्रावधान करती है कि जहाँ एओ को यह प्रतीत होता है कि पात्र कारोबार करने वाले निर्धारिती ओर किसी अन्य व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध होने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से लाभ क्रमिक रूप से बढ़ गया है तो एओ संगणना में लाभ की राशि को लेगा जैसी कारोबार से उपयुक्त रूप से प्राप्त हुई मानी जाए। धारा 40 (बी) प्रावधान करती है कि फर्म के किसी भागीदार को पारिश्रमिक (वेतन) तथा ब्याज स्वीकार्य है यदि ये भागीदारी पत्र द्वारा प्राधिकृत हैं। भागीदारों जिनको ये देय है, के हाथों में वेतन तथा ब्याज कर योग्य है।

हमने हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, 13 मामलों में देखा कि धारा 80 आईसी के अन्तर्गत कर कटौतियों का लाभ लेने वाली फर्म ने न तो भागीदार पत्र में परिश्रमिक तथा ब्याज का प्रावधान किया और न ही ऐसे व्यय की कटौती का दावा किया। इस प्रकार फर्म ने क्रमिक रूप से लाभ बढ़ा दिया और उसके द्वारा धारा 80 आईसी के अन्तर्गत कटौतियों का अदेय लाभ लिया जिसके कारण ₹ 4.32 करोड़ के राजस्व की राजकोष को हानि हुई (देखें बॉक्स 2.6)।

बॉक्स 2.6 भागीदारों को ब्याज/परिश्रमिक का भुगतान न करने के निदर्शी मामलो के परिणामस्वरूप अधिक कटौती हुई

क.	प्रभार	: पंचकुला (हरियाणा)
	निर्धारिती	: एडमैक फार्मुलेशन्स
	निर्धारण वर्ष	: 2009-10 से 2011-12
	पैन	: AAAAA5219Q

निर्धारिती फर्म ने न तो भागीदारी पत्र में इन तीन निर्धारण वर्षों के लिए ₹ 2.55 करोड़ के पारिश्रमिक और ₹ 1.37 करोड़ के ब्याज का प्रावधान किया और न ही भागीदारों के हाथों में कराधान हेतु ऐसी आय को प्रस्तुत किया। इसके परिणामस्वरूप धारा 80 आईसी के अन्तर्गत ₹ 3.92 करोड़ की कटौती का अधिक दावा हुआ, परिणामस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ख.	प्रभार	: करनाल (हरियाण)
	निर्धारिती	: जीएमएच आर्गेनिक्स
	निर्धारण वर्ष	: 2008-09 से 2010-11
	पैन	: AAGFG9690N

निर्धारिती फर्म ने न तो भागीदारी पत्र में इन तीन निर्धारण वर्षों के लिए ₹ 2.43 करोड़ के पारिश्रमिक और ₹ 0.72 करोड़ के ब्याज का प्रावधान किया और न ही भागीदारों के हाथों में कराधान हेतु ऐसी आय को प्रस्तुत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 97.24 लाख के कर का कम उदग्रहण हुआ। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

इस प्रकार निर्धारितियों ने भागीदारों के ब्याज/पारिश्रमिक के लिए प्रावधान नहीं किया है और धारा 80 आईसी के अन्तर्गत अधिक कटौती का दावा किया।

हमने 18 जुलाई 2014 के संसद के पटल पर प्रस्तुत 2014 के प्रतिवेदन सं. 7 (फर्मों के कर निर्धारण) में भागीदारों के ब्याज/पारिश्रमिक के भुगतान से सम्बन्धित मामला उठाया है और इस संबंध में मंत्रालय को सिफारिशें की हैं।

अग्नेनीत हानियों/मूल्यहास विशेषकर 80 आईसी की छूट लेने वाली यूनिट की हानियों/मूल्यहास का सहसम्बन्ध एवं सत्यापन करने के लिए आईटीडी के पास कोई तन्त्र नहीं है।

2.8 अग्नेनीत हानि अथवा अनावशोषित मूल्यहास के डाटा का अनुरक्षण

धारा 32 अनुबन्ध करती है कि पूर्व निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित अनवशोषित मूल्यहास को अग्नेनीत किए जाने और निर्धारिती की आय के प्रति समंजन की अनुमति है। इसी प्रकार निर्धारिती की अनवशोषित कारोबार हानि धारा 72 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के लिए अनुवर्ती निर्धारण वर्षों के लाभ के प्रति समायोजन करने के लिए अग्नेनीत किए जाने को अनुमत की जाती है। धारा 80 आईसी के अंतर्गत कटौती का लाभ लेने वाली यूनिट की हानि (मूल्यहास सहित) के अग्नेनीत का कोई अभिलेख आईटीडी अनुरक्षित नहीं कर रहा है। धारा 80 आईए(5) किसी कटौती का दावा करने से पूर्व अपने लाभ के पात्र यूनिट को पूर्व वर्ष की हानियों का समंजन करने का प्रावधान करती है। इसके अलावा सीबीडीटी ने दावों की अनुमति की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा के समय पर पिछले अभिलेखों से अनावशोषित हानि/मूल्यहास के दावे का आवश्यक सत्यापन तथा सहसम्बन्ध करने के लिए एओज़ को निर्देश¹¹ दिया है।

हमने दिल्ली, कर्नाटक तथा राजस्थान के 4 मामलों में पाया कि आईटीडी ने निर्धारणों के संशोधन के कारण हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखे बिना हानि/अनावशोषित मूल्यहास का समंजन अनुमत किया परिणामस्वरूप ₹ 4.19 करोड़ (देखे बॉक्स 2.7) के कर के परिणामी कम उदग्रहण के साथ ₹ 13.09 करोड़ की हानियों/मूल्यहास का गलत समंजन अथवा अधिक अग्नेनयन हुआ। हमने पाया कि आईटीडी ने अग्नेनीत हानियों/अनावशोषित मूल्यहास के डाटा का उचित प्रकार से रखरखाव नहीं किया था।

बॉक्स 2.7 निर्धारिती को स्वीकार्य अग्नेनीत हानि/मूल्यहास का डाटा अनुरक्षित न करने के निदर्शी मामले

क. प्रभार	: सीआईटी । दिल्ली
निर्धारिती	: अकुम्स ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2011-12
पैन	: AAECA7090B

निर्धारिती ने दावा किया और आईटीडी ने धारा 80 आईसी के अन्तर्गत ₹ 27.67 करोड़ की कटौती अनुमत की जिसमें नि. व. 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 4.80 करोड़

¹¹ सीबीडीटी का 2007 का परिपत्र सं. 9

की अपनी काल्पनिक हानि के समंजन के बाद एक पात्र यूनिट (सं. 111) से ₹ 7.01 करोड़ की कटौती शामिल की गई। तथापि नि. व. 2008-09 तथा 2009-10 से सम्बन्धित क्रमशः ₹ 3.83 करोड़ तथा ₹ 24.73 करोड़ की हानियां भी समंजन किए जाने को अपेक्षित थी। उपलब्ध ऐसी हानियों के समंजन के बाद यूनिट III की आय ₹ 7.01 करोड़ के स्थान पर शून्य निर्धारित की जानी चाहिए थी ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.17 करोड़ के परिणामी कम कर उदग्रहण के साथ ₹ 7.01 करोड़ की धारा 80 आईसी के अन्तर्गत गलत अनुमति हुई। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ख. प्रभार : सीआईटी मध्य, बैंगलौर
निर्धारिती : द हिमालया ड्रग कम्पनी
निर्धारण वर्ष : 2009-10
पैन : AADFT3025B

निर्धारिती ने दावा किया और आईटीडी ने नि. व. 2009-10 के संवीक्षा निर्धारण के दौरान ₹ 4.36 करोड़ की अग्रणीत हानि (नि. व. 2005-06 से सम्बन्धित) का समंजन अनुमत किया (मार्च 2013)। जबकि कथित अग्रणीत हानि नि. व. 2005-06 के संवीक्षा निर्धारण (अक्टूबर 2012) के दौरान पहले ही अस्वीकृत किया गया था जिस पर नि. व. 2009-10 के संवीक्षा निर्धारण के दौरान विचार नहीं किया गया था। इसके अलावा आईटीडी सीआईटी (अपील) के आदेश (अगस्त 2013) का प्रभाव देने के समय पर भी उपर्युक्त अग्रणीत हानि को अस्वीकृत करने में विफल हो गया। इस प्रकार आईटीडी ने आईटीडी के पास सूचना उपलब्ध होने के बावजूद कथित हानि का अन्तिम संसाधन करने पर विचार नहीं किया था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.48 करोड़ के कर के परिणामी कम उदग्रहण के साथ उस सीमा तक अवनिर्धारण हुआ। आईटीडी ने बताया है (अक्टूबर 2014) कि धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के द्वारा उपचारी कार्रवाई की गई है।

उपर्युक्त मामलों से परिणाम निकलता है कि पूर्व के वर्षों की अग्रणीत हानियां/मूल्यहास के डाटा का अनुरक्षण न करने के कारण अग्रनयन/समंजन का सह सम्बन्ध नहीं किया जा सका।

हमने 28 नवम्बर 2014 के संसद के पटल पर प्रस्तुत प्रतिवेदन संख्या 2014 की 20 (मूल्यहास तथा परिशोधन की अनुमति की निष्पादन लेखपरीक्षा) में पूर्व वर्षों की अग्रणीत हानियों/मूल्यहास और अग्रनयन/समंजन के डाटा का अनुरक्षण न करने का मामला उठाया है और इस संबंध में मंत्रालय को सिफारिशें दी हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जो उसी वित्त मंत्रालय का भाग है, में घोषित टर्नोवर के साथ आयकर में घोषित टर्नोवर का सहसम्बन्ध एवं सत्यापन करने का आईटीडी के पास कोई तन्त्र नहीं है।

2.9 उत्पाद शुल्क विवरणी में घोषित टर्नोवर के साथ आयकर विवरणी में घोषित टर्नोवर के प्रति सत्यापन हेतु तन्त्र

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में एक करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने वाले विनिर्माताओं से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 12(2) (ए) के अन्तर्गत फार्म ईआर 4 में वार्षिक सूचना दाखिल करने की अपेक्षा की जाती है। इस फार्म में कच्चे माल की मात्रा एवं मूल्य तथा तैयार माल की मात्रा तथा मूल्य के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होते हैं। चूंकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा आईटीडी दोनों वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित हैं इसलिए आईटीडी को कर आधार की गहराई से जांच करने के लिए छूटों/कटौतियों का दावा करने वाले निर्धारितियों के टर्नोवर का आयकर अभिलेखों (यथा 10 सीईबी) में यथा घोषित की ईआर 4 में घोषित टर्नोवर के साथ सह-सम्बन्ध/मिलान किया जाना चाहिए। बड़ी करदाता यूनिट (एलटीयू) जो तीन करों अर्थात् आयकर, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवाकर के लिए एकल खिड़की निर्वाधन है, के मामले में ऐसा सहसम्बन्ध/मिलान आसानी से सम्भव था और उसके द्वारा सहसम्बन्ध/मिलान किये जाने के लिए डाटा एओज को आसानी से उपलब्ध था।

हमने 14 राज्यों में नमूना जांच की और पाया कि केन्द्रीय उत्पाद विवरणी में घोषित टर्नोवर के साथ आईटीआर में घोषित टर्नोवर का प्रतिसत्यापन करने का आईटीडी के पास कोई तन्त्र नहीं था। टर्नोवर के ऐसे प्रतिसत्यापन के अभाव में अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दावित गलत कटौती के रूप में राजस्व हानि की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

2.10 सिफारिशें

क. सीबीडीटी निर्धारितियों, जिनको अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कर प्रोत्साहन निर्धारित किए गए हैं; का क्षेत्रवार डाटा अनुरक्षित करे।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले करदाताओं की बड़ी संख्या को ध्यान में रखकर यथार्थ रीति में क्षेत्रवार विभिन्न कर प्रोत्साहनों से सम्बन्धित डाटा अलग करना/पहचान करना व्यवहार्य नहीं हो सकता है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि निर्धारितियों, जो अनेक व्यवसायों में लगे हैं, द्वारा विवरणी में भरे गए कारोबार कोड से मुख्यतया डाटा लिया गया है और

यह सम्भवना है कि निर्धारिती गलत कोड भर सकता है तथापि कारोबार कोड में संशोधन विचाराधीन है।

लेखापरीक्षा का मत है कि कर योजना और भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा क्षेत्र विशेष नीति के लिए क्षेत्रवार डाटा का अनुरक्षण आवश्यक है। इसलिए क्षेत्रवार डाटा की प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन हेतु डीएसआईआर तथा एनपीपीए से आईटीआर के साथ मिलान के आसान करने के लिए पैन ब्यौरे एकत्र करने का अनुरोध किया जाए।

- ख. मंत्रालय एक तन्त्र विकसित करे ताकि डीएसआईआर द्वारा विधिवत अनुमोदित फार्म 3 सीएम/3 सीएल की प्रति आईटीआर के साथ निरपवाद रूप से संलग्न की जाए। मंत्रालय आईटीआर दाखिल करने के लिए नियम तारीख प्रारम्भ करने के लिए डीजीआईटी (छूट) को डीएसआईआर द्वारा अनुमोदित फार्म 3 सीएल अग्रेषित करने की तारीख भी निर्धारितकरे।

मंत्रालय ने डीएसआईआर द्वारा आरण्डडी व्यय के अनुमोदन की प्रणाली स्पष्ट करते हुए बताया (जनवरी 2015) कि वर्तमान योजना पूर्व कम्प्यूटीकृत युग में डिजाइन की गई थी और मामले की पुनः जांच करने पर सहमत हो गया।

लेखापरीक्षा के मंत्रालय के उत्तर से सहमत होते हुए आगे सुझाव दिया कि डीजीआईटी (छूट) के पास उपलब्ध डीएसआईआर का अनुमोदन पर आईटीआर के साथ मिलान किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

- ग. सीबीडीटी ऐसे कार्य ठेकों जहाँ विनिर्माण प्रक्रिया का सम्पूर्ण नियंत्रण निर्धारिती कम्पनियों में निहित है, को धारा 194 सी की परिधि के अंतर्गत लाने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार किया जाना चाहिए।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि सीएजी के सुझाव के कार्यान्वयन हेतु धारा 194 सी में विधायी परिवर्तन अपेक्षित होगा क्योंकि यह संभव है कि कुछ निर्धारिती धारा 194 सी में यथा परिभाषित कार्य ठेका की परिभाषा का लाभ ले सकते हैं। उन्होने आगे बताया कि 2015-16 की बजटीय कवायद के दौरान जांच के लिए टीपीएल प्रभाग को अलग से एक संदर्भ किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा का मत है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि औषधि क्षेत्र कि कम्पनियां ठेका विनिर्मताओं को किए गए भुगतानों पर टीडीएस

काटती है । इसलिए मंत्रालय इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उचित निर्णय ले।

- घ. आईटीडी अन्य कर विभागों के पास उपलब्ध निर्धारण से सम्बन्धित सूचना एकत्र/प्राप्त करने के लिए एक तन्त्र विकसित करे और कर आधार की गहराई तक इसका उपयोग करे तथा कर जाल को सही आय लाए। वैकल्पिक रूप से निर्धारिती, जो अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत टर्नओवर आधारित कटौतियाँ प्राप्त कर रहा है, से फार्म ईआर 4 में एआईआर अनिवार्य रूप से मांगी जानी चाहिए।

अध्याय III: अनुपालन मामले

3.1 प्रस्तावना

अधिनियम औषधि क्षेत्र के निर्धारितियों सहित निर्धारितियों को खर्च अनुमतियों/कटौतियों की स्वीकार्यता निर्धारित करता है। आन्तरिक अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी) केन्द्रों के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा जारी (मई 2014) मार्गनिर्देशों के अनुसार सचिव, डीएसआईआर को अधिनियम की धारा 35 (2एबी) के प्रयोजनों हेतु प्रधान अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। प्रधान अधिकारी अधिनियम द्वारा निर्धारित फार्म 3 सीएम/3 सीएल में आरएण्डडी व्यय अनुमोदित करता है। निर्धारितियों के दावे की प्रामाणिकता अभिनिश्चित करने में एओज़ की सहायता करने के लिए डीएसआईआर से डीजीआईटी (छूट) को फार्म 3 सीएल में आरएण्डडी व्यय का अनुमोदन भेजने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) तथा राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) जैसे नियामक निकाय हैं जो समय समय पर औषधि क्षेत्र से सम्बन्धित खर्चों जैसे फ्रीबीज , उपहारों पर खर्च, चिकित्सक नमूना आदि को विनियमित करने के लिए निर्देश/मार्ग निर्देश जारी करते हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने अनुपालन मामला निम्नवत पाया:

तालिका 3.1 कर प्रभावों के साथ अनुपालन मामले

विषय	मामले	(₹ करोड़ में)
		कर प्रभाव
खण्ड क: डीएसआईआर तथा एमसीआई और एनपीपीए जैसे निकायों द्वारा जारी निर्देशों/मार्गनिर्देशों के अनुपालन में औषधि क्षेत्र से सम्बन्धित अस्वीकार्य खर्च	36	55.10
खण्ड ख: औषधि क्षेत्र में अनुपालन मामले	171	714.24
जोड़	207	769.34

खण्ड क

औषधि क्षेत्र से सम्बन्धित अस्वीकार्य खर्च

हमने खर्चों की अनुमति से सम्बन्धित 7 राज्यों¹² में ₹ 55.10 करोड़ के कर प्रभाव वाले 36 मामले देखे जहाँ एओज द्वारा नियामक निकायों के निर्देशों/मार्गनिर्देशों का पालन नहीं किया गया था। इन मामलों में नियामक निकायों द्वारा इन्हें अनियमित किए जाने अथवा कारोबार से असम्बन्धित किए जाने के बावजूद औषधि क्षेत्र में कम्पनियों द्वारा चिकित्सा व्यवसायियों को उपहारों, फ्रीबीज तथा चिकित्सक नमूना के प्रति व्यय एओज ने अस्वीकृत नहीं किया अथवा आंशिक रूप से अस्वीकृत किया। तालिका 3.2 निर्धारण में गलतियों की श्रेणियों का सार और उनका कर प्रभाव दर्शाती है। इन मामलों के ब्यौरे इस अध्याय में दिए गए हैं।

तालिका 3.2 कर प्रभाव के साथ गलतियों का स्वरूप

गलतियों का स्वरूप और प्रतिवेदन का पैरा संख्या	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
1. चिकित्सा पेशेवरों को उपहारों तथा अन्य फ्रीबीज पर व्यय की अनुमति (पैरा 3.1.1)	21	45.43
2. बिक्री प्रोत्साहन खर्चों से न लिए गए फ्रीबीज/उपहारों पर खर्च का बयौरा (पैरा 3.1.2)	11	-
3. चिकित्सा नमूने पर खर्च (पैरा 3.1.3)	3	1.57
4. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा शास्ति (पैरा 3.1.4)	1	8.10
जोड़	36	55.10

अधिनियम, भारतीय चिकित्सा परिषद, सीबीडीटी/न्यायिक उदघोषणा द्वारा अनियमित बनाए जाने के बावजूद एओज ने उपहारों, यात्रा सुविधाओं, मेजबानी, नकदी अथवा आर्थिक अनुदान पर व्यय अनुमत किया।

3.1.1 चिकित्सा व्यवसायियों को उपहारों, फ्रीबीज आदि के प्रति व्यय की अनुमति

अधिनियम की धारा 37(1) की व्याख्या के अनुसार प्रयोजन, जो एक अपराध है अथवा जो कानून द्वारा प्रतिबन्धित है, के लिए कोई खर्च स्वीकार्य कारोबार व्यय नहीं है। एमसीआई ने अपने 2002 के विनियमों¹³ के तहत प्रावधान किया

¹² आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, तमिलनाडु तथा उत्तराखण्ड

¹³ भारतीय चिकित्सा तथा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा आचारशास्त्र) विनियम 2002

कि जहाँ तक सम्भव हो चिकित्सक जैविक दवाईयां लिखें। यह अन्य के साथ विज्ञापन प्रयोजन हेतु किसी औषधि अथवा दवाई किसी अनुमोदन अथवा सिफारिश के लिए अथवा किसी रोगी को किसी मेडिकल, सर्जिकल अथवा अन्य निदान का निर्देश देने अथवा सिफारिश करने के लिए कोई कमीशन, उपहार आदि मांगने अथवा प्राप्त करने से उन्हें प्रतिबन्धित करता है। संशोधन दिनांक 10 दिसम्बर 2009 के द्वारा औषधि कम्पनियां विशेष रूप से उपहार, यात्रा सुविधाएं मेजबानी, नकदी अथवा आर्थिक अनुदान आदि के स्वरूप में कोई इनाम देने से प्रतिबंधित की गई थीं। सीबीडीटी ने 2012 में एक परिपत्र¹⁴ जारी किया और स्पष्ट किया कि ऐसे खर्च स्वीकार्य नहीं होंगे। न्यायिक उदघोषणा¹⁵ ने भी स्पष्ट किया कि यह परिपत्र पूर्वव्यापी प्रभाव रखता था।

हमने 5 राज्यों¹⁶ में 21 मामले देखे जिनमें एओ ने ऐसे खर्च अनुमत किए थे जो डाक्टरों को दिए गए फ्रीबीज के स्वरूप के थे जिनमें ₹ 45.43 करोड़ का कर प्रभाव निहित था (देखें बॉक्स 3.1)

बॉक्स 3.1 फ्रीबीज खर्च पर गैर/आंशिक अस्वीकृति के निदर्शी मामले	
क. प्रभार	: सीआईटी VII। मुम्बई
निर्धारिती	: मैकलिओड्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2009-10
पैन	: AAACM4100C
<p>हमने देखा कि एओ ने 9 दिसम्बर 2009 से 31 मार्च 2010 तक की अवधि से संबंधित चिकित्सकों को उपहारों, फ्रीबीज आदि पर खर्च ₹ 58.71 करोड़ में से केवल ₹ 21.75 करोड़ (यह मानकर कि ऐसी अस्वीकृति की प्रभावी तारीख एमसीआई विनियमों में संशोधन की तारीख (अर्थात् 9 दिसम्बर 2009) होगी), अस्वीकृत किए। एओ का आधार उचित नहीं था, क्योंकि कथित संशोधन स्पष्टकारी स्वरूप में था और इसलिए धारा 37 (1) की व्याख्या जो पूर्वव्यापी प्रभाव 01 अप्रैल 1962 से प्रभावी है, के अनुसार अपराध तथा कानून द्वारा प्रतिबन्धित स्वरूप का होने पर ऐसे फ्रीबीज पर खर्च पूर्व वर्षों को भी पूर्णतया अस्वीकृति योग्य थे। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 36.96 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 11.09 करोड़ का सम्भावित कर प्रभाव अन्तर्गस्त है। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।</p>	

¹⁴ सं. 5/2012 (फा सं. 225/142/2012-आईटीए II) दिनांक 01 अगस्त 2012

¹⁵ कन्फेडरेशन आफ इण्डियन फार्मास्युटिकल्स उद्योग बनाम सीबीडीटी (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय)

¹⁶ गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, तमिलनाडु

ख. प्रभार	: सीआईटी-IV अहमदाबाद
निर्धारिती	: ट्रोइका फार्मास्युटिकलस लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2010-11
पैन	: AABCT0228K

हमने देखा कि एओ ने डाक्टर और उसकी विवाहिता के यात्रा खर्चों, वितरित उपहार वस्तुओं आदि पर निर्धारिती द्वारा खर्च ₹ 7.48 करोड़ को अनुमत किया जिसके परिणामस्वरूप उतनी ही आय का अवनिर्धारण ₹ 2.54 करोड़ के कर के कम उदग्रहण के साथ हुआ। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ग. प्रभार	: सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई
निर्धारिती	: इपका लेबोरेटरीज लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2009-10
पैन	: AAACI1220M

हमने देखा कि निर्धारिती ने दिल छूने वाले समारोह, डॉक्टरों को प्रयोजिकता तथा कार्पोरेट/ब्राण्ड रीकाल मदों पर ₹ 32.91 करोड़ खर्च किया। फ्रीबीज की प्रकृति के होने पर ये खर्च स्वीकार्य नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 11.09 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है। उसी प्रभार में एक अन्य निर्धारिती वायथ लिमिटेड (नि. व. 2008-09) के मामले में सीआईटी (ए) ने इस प्रवृत्ति के खर्चों की अस्वीकृतियों को एक तिहाई से पूर्ण ऐसे खर्चों तक बढ़ा दिया है। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

घ. प्रभार	: सीआईटी मध्य बेंगलोर
निर्धारिती	: वास्कुलर कन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2008-09 से 2010-11
पैन	: AAACM8353R

निर्धारिती ने डाक्टर के घरेलू तथा विदेशी यात्रा सहित होटल बुकिंग, उपहारों से संबंधित खर्चों के नि. व. के लिए ₹ 4.73 करोड़, ₹ 6.21 करोड़ तथा ₹ 7.49 करोड़ कुल ₹ 18.43 करोड़ की राशि डेबिट की। फ्रीबीज की प्रकृति के होने पर ये खर्च स्वीकार्य नहीं थे। तथापि एओ ने उन्हें अनुमत किया। इसके परिणामस्वरूप उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 6.26 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है। आईटीडी ने कहा (अक्टूबर 2014) की इस मामले में निर्धारण धारा 153 ए के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को का समयबाधित हो रहा है और लेखापरीक्षा आपत्ति को निर्धारण करने के दौरान देखा जाएगा।

ड. प्रभार	: सीआईटी-सैलम, चेन्नई
निर्धारिती	: बी. मोहन कुमार
निर्धारण वर्ष	: 2009-10 से 2011-12
पैन	: AIVPM2483C

निर्धारिती ने रोगियों को दवाईयों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निर्धारिती द्वारा स्थापित अस्पताल का दौरा करने वाले डाक्टरों की फीस/व्याख्या के प्रति सम्बन्धित नि.व. के लिए ₹ 2.70 करोड़ ₹ 4.71 करोड़ तथा ₹ 4.94 करोड़ कुल ₹ 12.35 करोड़ की राशि डेबिट की। ये खर्चे कन्फेडरेशन आफ इण्डिया बनाम सीबीडीटी (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 353 आईटीआर 338 दिनांक 26/12/2012) के मामले में न्यायिक उदघोषणा के मददेनजर स्वीकार्य नहीं थे। तथापि एओ ने उन्हें अनुमत किया। इसके परिणामस्वरूप उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 4.11 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है।

च. प्रभार	: सीआईटी V, दिल्ली
निर्धारिती	: ओजोन फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2011-12
पैन	: AAACO0056H

हमने देखा कि निर्धारिती ने डाक्टरों के लिए बिक्री प्रोत्साहन सामग्री की खरीद के प्रति ₹ 2.11 करोड़ की राशि डेबिट की है जैसा निर्धारण आदेश में उल्लेख किया गया। फ्रीबीज की प्रकृति के होने के कारण ये खर्चे स्वीकार्य नहीं थे। तथापि एओ ने उन्हें अनुमत किया। इसके परिणामस्वरूप उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 70.17 लाख का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है।

आईटीडी ने उत्तर में बताया (अगस्त 2014) कि भुगतान चिकित्सा कैम्पों, रक्तदान कैम्पों, वार्षिक पुरस्कार समारोह, बिक्री बढ़ाने के लिए बैठकों के लिए प्रयुक्त छोटी आयुर्वेदिक मर्दों से बनी सामग्री जैसे सोप, फेस वाश जेल्स आदि के लिए किए गए थे।

आईटीडी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि स्वयं निर्धारण आदेश में वह उल्लेख किया गया था कि निर्धारिती ने अपने उत्तर दिनांक 24 फरवरी 2014 के द्वारा बताया कि डाक्टरों के लिए बिक्री प्रोत्साहन सामग्री के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए ओजोन आयुर्वेदक से बिक्री प्रोत्साहन उत्पाद खरीदे गए थे जो भारतीय चिकित्सा परिषद विनियम 2002के प्रावधानों का उल्लंघन है।

इस प्रकार एओज ने डाक्टरों को दिए गए फ्रीबीज के प्रति अस्वीकृति में एक समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया है और प्रभावी तारीख जिससे ऐसे भुगतान जो कानून के विरुद्ध प्रतिबन्धित हैं अथवा कारोबार से सम्बन्धित नहीं हैं, अस्वीकार्य थे, के लिए एक समान व्यवहार नहीं किया है।

एओज ने बिक्री प्रोत्साहन पर व्यय अनुमत किया जिसमें फ्रीबीज पर प्रतिबन्धित खर्च शामिल किए गए

3.1.2 बिक्री प्रोत्साहन खर्चों से न लिए गए फ्रीबीज/उपहारों पर खर्च के ब्यौरे

औषधि कम्पनियाँ चिकित्सकों को फ्रीबीज तथा उपहारों पर नियमित रूप से खर्च करती हैं। इसलिए संवीक्षा निर्धारण कार्रवाइयों के दौरान एओज बिक्री प्रोत्साहन खर्चों के व्यौरे की पूछताछ करते हैं, फ्रीबीज पर खर्चों की पहचान करते हैं और उन्हें अस्वीकृत करते हैं। ऐसा न करने पर ऐसे खर्च बिक्री प्रोत्साहन खर्चों के भाग के रूप में अनुमत किए जाते हैं।

हमने उत्तरांचल तथा महाराष्ट्र में 11 मामले देखे जिनमें एओज ने विस्तृत ब्यौरों की जांच किए बिना बिक्री प्रोत्साहन में शामिल डाक्टरों को दिए गए फ्रीबीज पर खर्च अनुमत किए थे। (देखें बॉक्स 3.2)।

बॉक्स 3.2 बिक्री प्रोत्साहन खर्चों के ब्यौरों की पूछताछ न करने के कारण फ्रीबीज पर खर्चों को अस्वीकृत न करने के निदर्शों मामले

क.	प्रभार	: सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई
	निर्धारिती	: ग्लेनमार्क फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड
	निर्धारण वर्ष	: 2009-10 तथा 2010-11
	पैन	: AAACG12207L

निर्धारिती ने नि. व. 2009-10 तथा 2010-11 के लिए क्रमशः ₹ 55.66 करोड़ तथा ₹ 91.96 करोड़ के बिक्री प्रोत्साहन के प्रति खर्च का दावा किया और एओ ने अनुमत किया था। फ्रीबीज पर किए गए खर्च का सत्यापन करने के लिए इन खर्चों के विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ख.	प्रभार	: सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई
	निर्धारिती	: इपका लेबोरेटरीज़ लिमिटेड
	निर्धारण वर्ष	: 2007-08 तथा 2008-09
	पैन	: AAACI1220M

निर्धारिती ने नि. व. 2007-08 तथा 2008-09 में क्रमशः ₹ 28.64 करोड़ तथा ₹ 41.80 करोड़ के बिक्री तथा विपणन खर्च किए थे परन्तु डाक्टर को प्रदत्त उपहार तथा अन्य फ्रीबीज के खर्चों की पहचान नहीं की गई थी। तथापि नि. व. 2009-10 में हमने देखा कि बिक्री तथा विपणन खर्चों के ₹ 58.95 करोड़ में से ₹ 32.43 करोड़ विभिन्न फ्रीबीज पर खर्च किए थे। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ग.	प्रभार	: सीआईटी, देहरादून
	निर्धारिती	: सनकेयर फार्मूलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
	निर्धारण वर्ष	: 2009-10
	पैन	: AAICS9967M

निर्धारिती ने विज्ञापन, और यात्रा एवं वाहन खर्चों के अतिरिक्त विपणन तथा वितरण खर्चों के रूप में पीएण्डएल लेखे में ₹ 30.94 लाख डेबिट किया। निर्धारिती ने तथ्य स्वीकार किया कि कम्पनी की विपणन नीति में डाक्टरों तथा अस्पतालों को नमूनों का वितरण शामिल है तथापि एओ ने उनके ब्यौरे अभिनिश्चित करने के द्वारा उपर्युक्त खर्चमें शामिल फ्रीबीज पर प्रतिबन्धित खर्चों की मात्रा तक अस्वीकृत नहीं किया था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

इस तथ्य के बावजूद कि डाक्टरों को औषधि कम्पनियों द्वारा ऐसे प्रतिबन्धित खर्च उद्योग की नियमित प्रथाएँ हैं, एओज ने बिक्री प्रोत्साहन खर्च शीर्ष के अन्तर्गत ऐसे खर्चों के ब्यौरों की पूछताछ करने के द्वारा फ्रीबीज के खर्चों को अस्वीकृत नहीं किया था।

चिकित्सकों को मुफ्त दिए चिकित्सक नमूनों का खर्च एओज ने अस्वीकृत नहीं किया था।

3.1.3 चिकित्सक नमूनों के प्रति व्यय की अस्वीकृति नहीं/आंशिक अनुमति

चूंकि चिकित्सक नमूने डाक्टरों की मुफ्त दिए जाते हैं और यह जैविक दवाइयों के स्थान पर ब्राण्डेड दवाइयों के पक्ष में दवाइयां लिखने में डाक्टरों का निर्णय प्रभावित करता है इसलिए यह कानूनन अपराध की प्रकृति का था और इसलिए अस्वीकृति योग्य था।

हमने महाराष्ट्र में 3 मामले देखे जिनमें एओ ने डाक्टरों को मुफ्त दिए चिकित्सक नमूनों के खर्चों को अनुमत किया था जिसमें ₹ 1.57 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है (देखें बाक्स 3.3)।

बाक्स 3.3: चिकित्सक नमूनों के खर्चों को अस्वीकृत ना करने के निदर्शी मामले

क.	प्रभार	: सीआईटी- VII, मुम्बई
	निर्धारिती	: सोल्वे फार्मा इण्डिया लिमिटेड
	निर्धारण अधिकारी	: 2008-09
	पैन	: AABCD0322J

निर्धारिती ने डाक्टरों को मुफ्त दिए चिकित्सक नमूनों पर ₹ 2.24 करोड़ खर्च किया जिसे एओ द्वारा अस्वीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 76.18 लाख का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है।

ख.	प्रभार	:सीआईटी- X, मुम्बई
	निर्धारिती	: फ्लेमिंगो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
	निर्धारण वर्ष	: 2009-10 तथा 2010-11
	पैन	: AAACF4211B

निर्धारिती ने डाक्टरों को मुफ्त दिए चिकित्सक नमूनों पर नि.व. 2009-10 तथा 2010-11 के लिए क्रमशः ₹ 1.45 करोड़ तथा ₹ 92.46 लाख खर्च किया जो एओ द्वारा अस्वीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें क्रमशः ₹ 49.39 लाख तथा ₹ 31.42 लाख का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है। इन मामलों में हमारा तर्क फ्रीबीज के रूप में चिकित्सक नमूनों पर खर्चों को मानना है और इसलिए अस्वीकार्य सीआईटी प्रभार IX मुम्बई में नि.व. 2010-11 के लिए है। उपेन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सीआईटी (ए) -19 मुम्बई आदेश द्वारा समर्थित था जिसमें यह निर्णीत था कि यद्यपि एमसीआई द्वारा प्रतिबंधित खर्चों की सूची में चिकित्सक नमूना को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है परन्तु यह केवल फ्रीबीज की प्रकृति में था और इसलिए अस्वीकार्य था। दोनों मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

एओज ने डाक्टरों को मुफ्त आपूर्त चिकित्सक नमूनों के प्रति व्यय अस्वीकृत नहीं किया था जो जैविक दवादर्इयों के स्थान पर ब्राण्डेड दवाइयों लिखने को उन्हें प्रभावित करते हैं और उनके स्वतंत्र निर्णय को रोकते हैं।

एओज ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उदग्रहीत शास्तियों के प्रति व्यय, जो कानून द्वारा प्रतिबंधित है को अस्वीकृत नहीं किया था।

3.1.4 एनपीपीए द्वारा शास्ति के प्रति व्यय को अस्वीकृत न करना

अधिनियम की धारा 37 की व्याख्या के अनुसार किसी प्रयोजन, जो एक अपराध है अथवा कानून द्वारा प्रतिबंधित है, के लिए निर्धारिती द्वारा किया गया कोई व्यय कारोबार अथवा वृत्ति के प्रयोजन हेतु किया गया व्यय नहीं माना जाएगा और ऐसे व्यय के संबंध में कोई कटौती अथवा अनुमति नहीं की जाएगी। हमने आंध्र प्रदेश में एक मामला देखा जिसमें एओ ने एनपीपीए द्वारा उदग्रहीत शास्ति पर खर्च को अनुमत किया था जिसमें ₹ 8.10 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है (देखे बाक्स 3.4)।

बाक्स 3.4: एनपीपीए द्वारा शास्ति को अस्वीकृत न करने का निदर्शी मामला

प्रभार	: सीआईटी-1, हैदराबाद
निर्धारिती	: डा. रैडडीज लेबोरेटरीज लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2006-07
पैन	: AAACD7999Q

हमने नवम्बर 2011 में देखा कि एओ ने एनपीपीए द्वारा उदग्रहीत शास्ति के प्रति निर्धारिती द्वारा प्रदत्त ₹ 15.43 करोड़ के खर्च को अनुमत किया जो स्वीकार्य नहीं था। आईटीडी ने उत्तर में आरम्भ में आपत्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया (दिसम्बर 2012) कि राशि शास्ति नहीं थी परन्तु अति प्रभार राशि की वसूली थी। तथापि बाद में उपचारी कार्रवाई पूर्ण की गई थी (मार्च 2014) जिसमें सम्पूर्ण दावा यह कहते हुए अस्वीकृत किया गया था कि यह कानून का उल्लंघन है। इसमें उतना अवनिर्धारण के साथ ₹ 8.10 करोड़ के कर के कम उदग्रहण अन्तर्गस्त है। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

खण्ड ख

औषधि क्षेत्र में अनुपालन मामले

3.2 प्रस्तावना

औषधि क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण में हमने रियायतों/छूटों /कटौतियों के प्रशासन, निर्धारण की गुणवत्ता, निर्धारण से छूटी आय, स्थानान्तरण मूल्य निर्धारण आदि से सम्बन्धित गलतियां देखीं। वर्तमान अध्याय औषधि क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण के दौरान एओज द्वारा अधिनियम के प्रावधानों और सुसंगत नियमों/न्यायिक निर्णयों को लागू करने में कमियों से संबंधित लेखापरीक्षा मामलों से संबंध रखता है। हमने 17 राज्यों¹⁷ में 171 मामलों देखे जहाँ ₹ 714.24 करोड़ के कर प्रभाव के साथ अधिनियम के प्रावधानों का सही प्रकार पालन नहीं किया गया था। तालिका 3.3 निर्धारण में गलतियों की व्यापक श्रेणियों का सार और उनका कर प्रभाव दर्शाती है। इन मामलों के ब्यौरे इस अध्याय में अनुवर्ती पैराग्राफों में दिए गए हैं।

तालिका 3.3 : उनके कर प्रभाव के साथ गलतियों की प्रकृति

गलतियों की प्रकृति और प्रतिवेदन का पैरा संख्या	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
1. आरण्डडी/सामान्य खर्चों का आवंटन (पैरा 3.2.1)	15	121.21
2. रियायतों/कटौती/छूट/राहत की अनुमति (पैरा 3.2.2)	26	158.89
3. अश्रेणीत कारोबार हानि/मूल्यहास का समंजन (पैरा 3.2.3)	28	27.77
4. कारोबार व्यय की अनुमति (पैरा 3.2.4)	22	47.69
5. आरण्डडी खर्चों की अनुमति (पैरा 3.2.5)	14	77.40
6. खर्च अनुमत करने में गलती, जिन पर टीडीएस काटा नहीं गया/जमा नहीं किया गया था (पैरा 3.2.6)	7	5.91
7. निर्धारण में असंगति (पैरा 3.2.7)	3	149.93
8. आय तथा कर की संगणना में गणितीय त्रुटियां (पैरा 3.2.8)	15	14.65
9. विशेष प्रावधान के अन्तर्गत आय का निर्धारण (पैरा 3.2.9)	6	6.11

¹⁷ आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।

10. सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत आय का निर्धारण (पैरा 3.2.10)	16	84.21
11. पूंजीगत लाभों का वर्गीकरण तथा संगणना (पैरा 3.2.11)	1	00.74
12. अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन (पैरा 3.2.12)	5	7.58
13. अन्य (पैरा 3.2.13)	13	12.15
जोड़	171	714.24

अनुसंधान एवं विकास तथा सामान्य व्यय या तो वास्तविक आधार पर अथवा उनके बिक्री टर्नओवर अनुपातों के आधार पर लाभार्थी यूनिटों को आवंटित किए जाने अपेक्षित है। एओज ने उन्हें उचित आवंटन अभिनिश्चित किए बिना अनुमत किया।

3.2.1 आरएण्डडी/अन्य सामान्य खर्चों का आवंटन

अधिनियम की धारा 37 सकल लाभ पर पहुंचने के लिए निर्धारिती की आय से कारोबार खर्चों की कटौती का प्रावधान करती है। निर्धारिती की किसी विशेष यूनिट अथवा एक से अधिक यूनिट अथवा सभी यूनिटों को किसी खर्च से उपचित लाभ पर निर्भर विशेष खर्च या तो वास्तविक आधार पर अथवा उनके बिक्री टर्नओवर अनुपातों के आधार पर लाभभोगी यूनिट (टों) को आवंटित किया जाना अपेक्षित है। हमने आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में 15 मामले देखे जिनमें एओज ने उनकी उचित जांच किए बिना सामान्य तथा आरएण्डडी खर्चों का आवंटन अनुमत किया था जिसमें ₹ 121.21 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है (देखें बाक्स 3.5)।

बाक्स 3.5: आरएण्डडी /अन्य सामान्य खर्चों का आवंटन नहीं/आंशिक आवंटन

क. प्रभार	: सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई
निर्धारिती	: ग्लेनमार्क जेनरिक लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2009-10
पैन	: AACCG9820D

आरएण्डडी पर खर्चों की भारित कटौती का आवंटन आरएण्डडी की लाभार्थी यूनिटों के बीच बिक्री टर्नओवर अनुपात में किया जाना था। आरएण्डडी पर पूंजीगत तथा राजस्व खर्चों पर ₹ 212.73 करोड़ की कुल भारित कटौती में से गोवा यूनिट को आवंटित (कटौती की पात्र) ₹ 13.13 करोड़ और अन्य यूनिटों (आवंटन के लिए पात्र नहीं) को ₹ 141.27 करोड़ के साथ अधिनियम की धारा 35(2एबी) के अन्तर्गत राजस्व खर्च के संबंध में केवल ₹ 154.40 करोड़ की भारित कटौती निर्धारिती को आवंटित की गई।

तथापि बिक्री टर्नओवर अनुपात के अनुसार ₹ 106.34 करोड़ गोवा यूनिट को आवंटित किए जाने अपेक्षित थे। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 93.20 करोड़ का कम आवंटन हुआ।

इसके अलावा धारा 35(1)(i) के अन्तर्गत राजस्व खर्चों और अधिनियम की धारा 35(1)(iv) तथा 35 (2एबी) के अन्तर्गत पूंजीगत खर्चों के संबंध में ₹ 58.33 करोड़ की शेष भारित कटौती किंचित आवंटित नहीं की गई थी जो ऊपरउल्लिखित अनुपात में गोवा यूनिट को ₹ 40.37 करोड़ बनती थी। इस प्रकार उपर्युक्त के परिणामस्वरूप ₹ 133.57 करोड़ (₹ 93.20 + ₹ 40.37) का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 45.33 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ख. प्रभार : सीआईटी मध्य, हैदराबाद
निर्धारिती : हेटरो ड्रग्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2009-10
पैन : AAACH5071K

निर्धारिती ने ₹ 98.19 करोड़ निगम उपरिव्यय का दावा किया जिसे टर्नओवर के आधार पर सभी यूनिटों को आवंटित नहीं किया गया था। निर्धारिती ने ₹ 14.10 करोड़ के स्थान पर ₹ 81.36 लाख आवंटित किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.29 करोड़ का धारा 80 आईसी के अन्तर्गत कटौती का अधिक दावा हुआ जिसमें ₹ 4.52 करोड़ के परिणामी कम कर उदग्रहण के साथ उतनी आय का अवनिर्धारण अन्तर्ग्रस्त है। आईटीडी यह कहते हुए आपत्ति स्वीकार नहीं की कि ऐसे आवंटन के लिए अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि खर्चों की प्रकृति पात्र तथा अपात्र यूनिटों दोनों के लिए सामान्य थी। इसके अलावा यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि सभी निगम उपरिव्यय, जो पात्र तथा अपात्र यूनिटों को सामान्य हैं, संविभाजित किए जाने हैं और अधिनियम में कोई प्रावधान करना अपेक्षित नहीं है। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ग. प्रभार : सीआईटी एलटीयू, मुम्बई
निर्धारिती : ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2007-08 से 2010-11
पैन : AAACG2207L

निर्धारिती ने आरएण्डडी खर्चों की भारित कटौती के आवंटन के लिए गलत¹⁸ बिक्री टर्नओवर अनुपात का उपयोग किया जो सही से कम था और एओ ने उसे स्वीकार

¹⁸ व्यक्तिगत यूनिट की विनिर्मित बिक्री और सभी यूनिटों की विनिर्मित बिक्री के पण्यवर्त के बीच अनुपात लेने के स्थान पर इसने व्यक्तिगत यूनिट की विनिर्मित बिक्री और सभी यूनिटों की सकल बिक्री (बेचे माल के टर्नओवर सहित) के बीच अनुपात का उपयोग किया। चूंकि आरएण्डडी का लाभ केवल विनिर्मित माल द्वारा लिया गया था और बेचे माल द्वारा नहीं इसलिए इसे अनुपात निकालने से बाहर किया जाना अपेक्षित था। सही अनुपात गलत अनुपात की अपेक्षा अधिक होगा।

किया। उन वर्षों के दौरान अनुपात में अन्तर 0.93 प्रतिशत से 3.15 प्रतिशत के बीच था। इसके कारण ₹ 319.15 करोड़ की कुल भारित कटौती में से उपर्युक्त वर्षों के लिए ₹ 167.36 करोड़ के स्थान पर पात्र यूनिटों (80 आईबी यूनिट गोवा में और 80 आईसी यूनिट बददी में) को ₹ 156.96 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। निम्नतर टर्नओवर अनुपात के कारण आरण्डडी खर्च के लिए भारित कटौती के निम्नतर आवंटन के परिणामस्वरूप उपर्युक्त नि.व. के लिए ₹ 10.40 करोड़ का कुल अवनिर्धारण ₹ 3.50 करोड़ के परिणामी कम कर उदग्रहण के साथ हुआ। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

इसने दर्शाया कि आईटीडी ने यह सुनिश्चित करने कि आरण्डडी से सामान्य खर्च अथवा भारित कटौती, कौन सी मुक्त/अमुक्त यूनिटें और बहू अवस्थापनक यूनिटें उससे लाभान्वित, सभी लाभार्थी यूनिटों को उचित रूप से आवंटित किए गए थे और अदेय छूटों/कटौतियों/रियायतों के दावे नहीं किए गए थे, के लिए सुस्पष्ट प्रणाली स्थापित नहीं की हैं।

एओज ने अधिनियम के प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों का सत्यापन किए बिना निर्धारितियों को रियायतें/कटौतियां/छूट/राहत अनुमत किए।

3.2.2 रियायतों/कटौती/छूट/राहत की अनुमति

अध्याय VIक और धारा 10 उनमें निर्दिष्ट कुछ शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन किसी निर्धारिती की कुल आय संगणना में कुछ कटौतियों का प्रावधान करते हैं। धारा 80 आईबी/धारा 80आईसी इन धाराओं के अन्तर्गत उपक्रम से लाभों तथा अभिलाभों के संबंध में पहले पांच नि.व. और अगले पांच नि.व. के लिए क्रमशः 100 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत कटौतियों का प्रावधान करती हैं।

हमने 13 राज्यों¹⁹ में 26 मामले देखे जिनमें एओ ने उनकी उचित जांच किए बिना रियायतें/कटौती/छूट/राहत अनुमत की थीं जिनमें ₹ 158.89 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है (दिखे बाक्स 3.6)।

¹⁹ आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

बाक्स 3.6: अधिक अथवा उपनियमित रियायत/छूट/कटौती/बटटा/राहत

क. प्रभार	: सीआईटी-॥ इन्दौर
निर्धारिती	: प्लेथिको फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2006-07 से 2009-10
पैन	: AABCP3063G

हमने देखा कि धारा 143(3)/153ए के अन्तर्गत सम्पन्न निर्धारण में लेखापरीक्षक जिसका नाम कांधला स्थित निर्धारिती की पात्र सेज यूनिट के लेखा प्रमाणन पर दर्ज था, ने शपथ पर बताया कि उसने उसकी लेखापरीक्षा नहीं की थी। इसलिए नि.व. 2006-07 से 2009-10 तक के लिए क्रमशः ₹ 68.03 करोड़, ₹ 80.88 करोड़, ₹ 121.46 करोड़ तथा ₹ 127.50 करोड़ तक निर्धारिती को अनुमत छूट सही नहीं थी क्योंकि निर्धारिती द्वारा भेजी गई फार्म 56एफ में रिपोर्ट उस लेखाकार द्वारा नहीं दी गई थी। इसलिए अधिनियम की धारा 10ए(5) के अनुसार छूट वापस ली जानी अपेक्षित थी जो नहीं ली गई थी। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 134.74 करोड़ के कर के कम उदग्रहण के साथ ₹ 397.87 करोड़ का कुल अवनिर्धारण हुआ। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ख. प्रभार	: सीआईटी-॥ चण्डीगढ़
निर्धारिती	: वीनस रेमेडीज लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2011-12
पैन	: AAACV6524H

निर्धारिती ने अक्टूबर 2005 में प्रचालन आरम्भ किया और आरम्भिक नि.व. 2006-07 था। इसलिए वर्तमान नि.व. के लिए निर्धारिती 100 प्रतिशत लाभ पर दावित ₹ 16.24 करोड़ के स्थान पर लाभ के 30 प्रतिशत पर ₹ 4.87 करोड़ की कटौती का पात्र था। तथापि आईटीडी ने निर्धारिती द्वारा दावित कटौती को सीमित नहीं किया परिणामस्वरूप उतने अवनिर्धारण के साथ ₹ 11.37 करोड़ की कटौती की अधिक अनुमति हुई जिसमें ₹ 3.78 करोड़ का कर अन्तर्ग्रस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ग. प्रभार	: सीआईटी मध्य-॥, मुम्बई
निर्धारिती	: इण्डीको रेमेडीज लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2010-11
पैन	: AAACI0380C

एओ ने संवीक्षा निर्धारण के दौरान पात्र यूनिट (80 आईसी यूनिट) का लाभ गलती से ₹ 40.01 करोड़ के स्थान पर ₹ 41.70 करोड़ के रूप में अपनाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.69 करोड़ की अधिक कटौती हुई। इसके अलावा बिक्री टर्नओवर अनुपात में पात्र

तथा अपात्र यूनिटों के बीच आरएण्डडी खर्चों पर भारित कटौती²⁰ का आवंटन करते समय इसने पात्र यूनिट को ₹ 7.13 करोड़ के स्थान पर केवल ₹ 3.99 करोड़ आवंटित किया परिणामस्वरूप ₹ 3.13 करोड़ की अधिक कटौती हुई। इस प्रकार एओ ने ₹ 35.31 करोड़ की स्वीकार्य कटौती संगणित की और ₹ 34.62 करोड़ के उपलब्ध लाभ तक सीमित किया तथापि उपर्युक्त चर्चा के आधार पर स्वीकार्य कटौती केवल ₹ 30.69 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.93 करोड़ (₹ 34.62 करोड़ - ₹ 30.69 करोड़) की कटौती की अधिक अनुमति हुई जिसमें ₹ 1.18 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

इस प्रकार यह सुनिश्चित करने कि एओ द्वारा अनुमत किए जाने से पूर्व कटौतियों/ रियायतों/छूटों/बटटा/राहत की पूर्णतया संवीक्षा की जाती है, के लिए आईटीडी के पास सान्निहित प्रणाली नहीं थी।

एओ ने अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में मूल्यहास /कारोबार हानि /पूँजीगत हानि का समंजन/अग्रनयन अनुमत किया।

3.2.3 मूल्यहास/कारोबार हानि/पूँजीगत हानि का समंजन/अग्रनयन

धारा 72 आगामी नि.व. जहाँ समंजित न हुई मात्रा तक सुसंगत वर्ष के किसी शीर्ष के अन्तर्गत आय के प्रति हानि पूर्णतया समंजित नहीं हुई है, में समंजन के लिए हानि को आगे ले जाने का प्रावधान करती है।

हमने 11 राज्यों²¹ में 28 मामले देखे जिनमें एओ ने निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में कारोबार व्यय अनुमत किया था जिसमें ₹ 27.77 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (देखे बाक्स 3.7)।

बाक्स 3.7 कारोबार हानि के समंजन और मूल्यहास तथा कारोबार/पूँजीगत हानि का अग्रनयन अनुमत करने में अनियमितताएं

क. प्रभार	: सीआईटी-मध्य, हैदराबाद
निर्धारिती	: गायत्री बायो-आरगेनिक्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2011-12
पैन	: AAACG7384A

एओ ने अग्रनीत किए जाने के लिए नि.व. 1999-2000 से 2002-03 तक से सम्बन्धित ₹ 12.09 करोड़ की कारोबार हानि अनुमत की यद्यपि 8 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई

²⁰ आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भारित कटौती ₹ 18.27 करोड़ थी। तथापि एओ ने पात्र तथा अपात्र यूनिटों के बीच केवल 10.22 करोड़ का आवंटन किया।

²¹ आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल।

थी परिणामस्वरूप उस मात्रा तक अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 3.63 करोड़ का संभावित कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। आईटीडी ने आपत्ति स्वीकार नहीं की थी परन्तु धारा 157 के अन्तर्गत आदेश पारित कर दिया (जुलाई 2014)।

ख. प्रभार : सीआईटी। दिल्ली
निर्धारिती : बॉश एण्ड लैम्ब आई केयर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2009-10
पैन : AABC7362G

एओ ने निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए ₹ 11.70 करोड़ (₹ 9.48 करोड़ + ₹ 2.22 करोड़) की अग्रेनीत कारोबार हानियों तथा अनवशोषित मूल्यहास के समंजन के बाद ₹ 19.96 करोड़ की आय निर्धारित कर अक्टूबर 2013 में निर्धारण पूर्ण किया। हमने पाया कि ₹ 11.70 करोड़ की हानियां समंजन करने के लिए उपलब्ध नहीं थीं क्योंकि निर्धारिती नि.व. 2007-08 तथा 2008-09 की आय पर निर्धारित था। इसलिए निर्धारण वर्ष 2009-10 में समंजन किए जाने के लिए कोई हानियां उपलब्ध नहीं थी। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 11.70 करोड़ की हानियों का गलत समंजन हुआ जिसमें ₹ 3.98 करोड़ के कर प्रभाव का कम उदग्रहण अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ग. प्रभार : सीआईटी-पणजी
निर्धारिती : वैलेस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2009-10
पैन : AACW1667Q

निर्धारिती का अपनी 80 आईसी यूनिट से ₹ 14.43 करोड़ का लाभ और अपनी गैर 80 आईसी यूनिट से ₹ 12.66 करोड़ की हानि थी। इस प्रकार निर्धारिती ने अपनी कुल आय ₹ 1.78 करोड़ और 80 आईसी यूनिट के लाभ की कटौती अनुमत करने, कुल आय तक से सीमित करने के बाद कुल कर योग्य आय शून्य संगणित की।

तथापि आईटीडी ने विवरणित आय में ₹ 6.20 करोड़ की वृद्धि की और कुल कर योग्य आय ₹ 6.20 करोड़ निर्धारित की और तदनुसार कर की गणना की। इससे असन्तुष्ट निर्धारिती ने यह कहते हुए कि उपलब्ध 80 आईसी कटौती निर्धारित आय से अधिक होने पर कर योग्य आय शून्य कर देयता के साथ शून्य होगी, धारा 154 के अन्तर्गत सुधार हेतु आवेदन किया।

एओ ने आदेश में सुधार किया परन्तु कुल कर योग्य आय शून्य निर्धारित करने के स्थान पर इसने ₹ 6.20 करोड़ की निर्धारित आय से गलती से ₹ 12.66 करोड़ घटाने के बाद 6.45 करोड़ की हानि निर्धारित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.45 करोड़ का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 1.94 करोड़ का सम्भावित कर अन्तर्गस्त था।

आईटीडी ने आपत्ति स्वीकार कर ली है (अक्टूबर 2014) और 14 अक्टूबर 2014 को धारा 154 के अन्तर्गत गलती को सुधार लिया।

इसने दर्शाया कि एओज ने उपलब्ध इस प्रयोजन हेतु अपेक्षित ब्यौरों की उचित संवीक्षा किए बिना मूल्यहास/कारोबार हानि/पूँजीगत हानि का समंजन/अग्रनयन अनुमत किया जो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था।

एओज ने अधिनियम के उल्लंघन में कारोबार से असम्बद्ध व्यय अनुमत किया

3.2.4 कारोबार व्यय की अनुमति

धारा 37 प्रावधान करती है कि कारोबार से असम्बद्ध कोई व्यय कारोबार खर्च के रूप में अनुमत नहीं किया जाना है। हमने 9 राज्यों²² में 22 मामले देखे जिनमें एओ ने निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में कारोबार व्यय अनुमत किया था जिसमें ₹ 47.69 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (देखें बाक्स 3.8)।

बाक्स 3.8 कारोबार व्यय की गलत अनुमति

क. प्रभार	: सीआईटी मध्य, पुणे
निर्धारिती	: टविलाईट लिटका फार्मा लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2012-13
पैन	: AAACL4246J

निर्धारिती द्वारा दाखिल आय की संगणना से पता चला कि उसकी कुल कारोबार आय ₹ 10.35 करोड़ थी और कुल करयोग्य आय ₹ 34.25 करोड़ की 80 आईसी कटौती अनुमत करने के बाद, कुल आय तक सीमित शून्य थी। एओ ने इस आधार पर निर्धारिती द्वारा दावित 80 आईसी कटौती को अस्वीकृत किया कि निर्धारिती ने तलाशी तथा जब्ती के दौरान स्वयं प्रस्तुत किया था कि वह लेनदेनों में लगा था जो मात्र बही प्रविष्टियां थीं प्रकृति में परिचालन और प्रमाणिक नहीं थी और तदनुसार एओ ने गलती से ₹ 10.35 करोड़ के स्थान पर ₹ 34.25 करोड़ पर कर योग्य आय निर्धारित की।

इसके आगे हमने देखा कि एओ ने उसकी प्रामाणिकता सत्यापित किए बिना लाभ तथा हानि लेखे में डेबिट किए ₹ 51.61 करोड़ का बट्टा खाता अनुमत किया था जिसमें (i) "बट्टे खाते डाली गई असाधारण मद माल सूची " के प्रति ₹ 15.03 करोड़, जिसके लिए या तो वार्षिक रिपोर्ट में अथवा निर्धारण अभिलेखों में और कोई विघटन/ब्यौरा उपलब्ध नहीं था और (ii) निर्धारिती द्वारा दावित "बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण" के प्रति ₹ 36.58 करोड़ जो उसी आधार पर अस्वीकृत किया जाना था कि लेनदेन प्रामाणिक नहीं थे।

²² गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

लेखापरीक्षा के अनुसार यह ध्यान में रखकर कि 80 आईसी कटौतियां एओ द्वारा अस्वीकृत की गई थी, निर्धारित आय ₹ 34.25 करोड़ के स्थान पर ₹ 61.96 करोड़ (₹ 10.35 + ₹ 51.61) होनी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.71 करोड़ तक आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 8.99 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गत था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ख. प्रभार : सीआईटी- पुडुचेरी
निर्धारिती : डीएक्सएन हर्बल, मेन्युफेक्चरिंग इण्डिया (प्रा.) लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2008-09
पैन : AABCD4141M

निर्धारिती ने पूर्व वर्ष 2007-08 (नि.व. 2008-09) के दौरान विरोध स्वरूप अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में ₹ 2.97 करोड़ का भुगतान किया था और आय की संगणना में धारा 43बी के अन्तर्गत कटौती के रूप में उसका दावा किया था। तथपि निर्धारिती ने इस संबंध में किसी व्यय का दावा नहीं किया था। धारा 43बी के अनुसार कटौती केवल तभी स्वीकार्य है जब उसे निर्धारिती द्वारा खर्च किया गया हो और वास्तव में भुगतान किया गया हो। चूंकि न तो देयता उठायी गई थी और नही लाभ तथा हानि लेखा में व्यय के रूप में उसका दावा किया गया है इसलिए उसे अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.97 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 1.01 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गत था।

आईटीडी ने बताया (नवम्बर 2014) कि यद्यपि निर्धारिती ने विरोधस्वरूप भुगतान किया फिर भी उसे उत्पाद शुल्क विभाग से मांग नोटिस दिया गया था। इसलिए यह एक वैद्य सांविधिक देयता है जो विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख से पूर्व भुगतान पर धारा 43बी के अन्तर्गत स्वीकार्य है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईटीडी ने यह प्रमाणित करने कि देयता उठायी गई है, के लिए उत्पाद शुल्क विभाग के मांग नोटिस की प्रति प्रस्तुत नहीं की है।

इस प्रकार एओज ने कारोबार कटौतियां अनुमत की जो अधिनियम के प्रावधानों और नियमों तथा समय समय पर जारी सीबीडीटी निर्देशों के अनुसार अनुमत नहीं की जानी चाहिए थीं।

एओज ने डीएसआईआर मार्ग निर्देशों में उल्लिखित शर्तों से सन्तुष्ट हुए बिना आरएण्डडी व्यय अनुमत किया।

3.2.5 आर एण्ड डी खर्चों की अनुमति

अधिनियम की धारा 35(2एबी) के अन्तर्गत भारित कटौती के दावे के अनुमोदन के लिए डीएसआईआर मार्गनिर्देश आरएण्डडी पर पूंजीगत तथा राजस्व व्ययों की पात्रता के लिए विभिन्न शर्तें प्रस्तुत करते हैं। उनमें उल्लिखित शर्तों को पूरा न करने वाले कोई व्यय आरएण्डडी व्यय पर भारित कटौती की गणना करने से पूर्व निकाल दिए जाते हैं।

हमने 5 राज्यों²³ में 14 मामले देखे जिनमें एओ ने निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में आरएण्डडी व्ययों पर कटौतियां अनुमत की गई थीं जिनमें ₹ 77.40 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (देखें बाक्स 3.9)।

बाक्स 3.9: आरएण्डडी व्ययों की गलत अनुमति

क.	प्रभार	: सीआईटी-एलटीयू मुम्बई
	निर्धारिती	: ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
	निर्धारण वर्ष	: 2009-10 से 2010-11
	पैन	: AAACG2207L

अधिनियम की धारा 35 (2एबी) के अन्तर्गत भारित कटौती के दावे के अनुमोदन हेतु डीएसआईआर मार्गनिर्देश अनुमोदित आरएण्डडी केन्द्र के कुल व्यय(भूमि तथा भवन को छोड़कर) से अन्य के साथ ठेका अनुसंधान से आय कम करने का विशेषकर प्रावधान करते हैं।

संवीक्षा निर्धारण के दौरान एओ ने अनुमोदित आन्तरिक अनुसंधान तथा विकास सुविधा पर खर्च पर अधिनियम की धारा 35(2एबी) के अन्तर्गत निर्धारिती द्वारा यथा दावित भारित कटौती अनुमत की। तथापि आरएण्डडी पर निवल व्यय की गणना करते समय सकल आरएण्डडी व्यय से क्रमशः ₹ 52.32 करोड़ तथा ₹ 46.11 करोड़ की ठेका अनुसंधान से आय कम करने के स्थान पर उसने ₹ 36 करोड़ तथा ₹ 31.07 करोड़ ठेका अनुसंधान के प्रति खर्च को कम किया।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.32 करोड़ तथा ₹ 15.04 करोड़ के आरएण्डडी व्यय और क्रमशः ₹ 24.47 करोड़ तथा ₹ 22.56 करोड़ की अनुरूप भारित कटौती (150 प्रतिशत की दर पर) का अधिक दावा हुआ जिसमें ₹ 15.99 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

²³ आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नई दिल्ली

ख.	प्रभार	: सीआईटी V दिल्ली
	निर्धारिती	: रैनबैकसी लेबोरेटरीज
	निर्धारण वर्ष	: 2007-08
	पैन	: AAACR0127N

निर्धारिती ने आय की संगणना में 150 प्रतिशत की दर पर आन्तरिक आरएण्डडी पर किए गए ₹ 412.20 करोड़ (₹ 374.31 करोड़ + ₹ 37.89 करोड़) के व्यय पर भारित कटौती का दावा किया जो धारा 35(2एबी) के अन्तर्गत ₹ 618.30 करोड़ बनी। इसके अलावा लेखापरीक्षा ने देखा कि धारा 35(2एबी) के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए राजस्व आरएण्डडी व्यय में अनुमोदित सुविधाओं (डीएसआईआर द्वारा जारी फार्म 3सीएल के अनुसार) के बाहर किए गए चिकित्सीय परीक्षण पर खर्च की गई ₹ 42.35 करोड़ की राशि शामिल है। चूंकि ₹ 42.35 करोड़ का चिकित्सीय परीक्षण पर किया गया व्यय धारा 35(2एबी) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकार्य व्यय नहीं था। उस रूप में ₹ 21.17 करोड़ का भारित भाग अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 21.17 करोड़ की भारित कटौती का अधिक दावा हुआ परिणामतः उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 6.35 करोड़ का कर अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

इस प्रकार आईटीडी आरएण्डडी खर्चों तथा उनके सही मूल्य की पात्रता की जांच के लिए कोई प्रभावी तन्त्र नहीं रखता है।

एओज ने खर्च अनुमत किए जिन पर या तो स्रोत पर कर नहीं काटा गया था अथवा यदि काटा गया तब निर्धारित देय तारीख से पूर्व जमा नहीं किया गया।

3.2.6 खर्च अनुमत करने में गलती जिनपर टीडीएस काटा/जमा नहीं किया गया था

धारा 40(ए) (Iए) के अनुसार कोई ब्याज, कमीशन अथवा दलाली (किराया, रायल्टी), व्यावसायिक अथवा तकनीकी सेवाओं की फीस अथवा ठेकेकार अथवा उपठेकेदार को देय राशि आदि जैसे उनमें ब्यौरे हैं, जिनपर कर स्रोत पर कटौती योग्य (टीडीएस) है और काटा नहीं गया है अथवा काटने के बाद निर्धारित देय तारीख को अथवा उसके पूर्व भुगतान नहीं किया गया है तो ऐसी राशियां आय की संगणना में खर्च के रूप में अनुमत नहीं की जाएगी।

हमने 5 राज्यों²⁴ में 7 मामले देखे जिनमें एओ ने खर्च अनुमत किए थे जिन पर या तो टीडीएस काटा नहीं गया था अथवा काटा गया परन्तु निर्धारित प्रावधानों

²⁴ असम, गुजरात, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल

का उल्लंघन कर जमा नहीं किया गया जिनमें ₹ 5.91 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था (देखें बाक्स 3.10)।

बाक्स 3.10 खर्च अनुमत करने में गलती जिन पर टीडीएस काटा/जमा नहीं किया गया

प्रभार	: सीआईटी-1, गुवाहाटी
निर्धारिती	: केण्डिडा एण्टरप्राइजेज
निर्धारण वर्ष	: 2010-11 से 2011-12
पैन	: AADFC9889N

निर्धारिती ने पी/एल लेखे में सेवा प्रभारों के प्रति क्रमशः ₹ 1.01 करोड़ एवं ₹ 1.24 करोड़ डेबिट किए। तथापि टीडीएस काटने और निर्धारित समय सीमा के अन्दर सरकारी खाते में उस का भुगतान करने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य निर्धारण अभिलेखों

में उपलब्ध नहीं था। इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 40(ए)(1ए) के प्रावधान के अनुसार सम्पूर्ण राशि स्वीकार्य कटौती नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड़ की कुल आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 95.66 लाख का कर अन्तर्ग्रस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

इसने दर्शाया कि मामलों जहाँ टीडीएस या तो काटा नहीं गया है अथवा काटा गया परन्तु जमा नहीं किया गया, में खर्चों की अस्वीकृति का प्रावधान एओज द्वारा उचित प्रकार लागू नहीं किया जा रहा है।

एओज ने बाद के वर्षों में विशेष खर्चों को अनुमत करने अथवा अस्वीकृत करने में संगतता बनाए नहीं रखी।

3.2.7 निर्धारण में असंगति

एओज से कुछ पहलू के संबंध में स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संबंध में संगत आधार लिए जाने की अपेक्षा की जाती है। किसी विशेष नि.व. में की गई अस्वीकृति अनुवर्ती नि.व. में कायम रखा जाना चाहिए जब तक अन्यथा विभाग द्वारा निर्णय न किया जाए।

हमने महाराष्ट्र में एक निर्धारिती के 3 मामलों में देखा कि विशेष अस्वीकृति देने में एओ द्वारा संगति का पालन नहीं किया था जिसमें ₹ 149.93 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था(देखें बाक्स 3.11)।

बाक्स 3.11 निर्धारण में असंगति

प्रभार	: सीआईटी मध्य-IV, मुम्बई
निर्धारिती	: रजत फार्माकेम लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2006-07, 2008-09 तथा 2009-10
पैन	: AAACR6464N

अधिनियम की धारा 68 कुल कर योग्य आय में राशि जोड़ने का प्रावधान करती है यदि वह राशि निर्धारिती की बहियों में क्रेडिट हुई पाई जाती है और निर्धारिती या तो उस की प्रकृति अथवा स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एओ के विचार में सन्तोषजनक नहीं है।

एओ ने नि.व. 2003-04 से 2009-10 तक के लिए अधिनियम की धारा 153ए के साथ पठित धारा 144 के अन्तर्गत निर्धारिती का एक पक्षीय संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया (मई 2011)। इस मामले में निर्धारिती के परिसर में तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई की गई थी जिसमें यह पाया गया था कि लेखा बहियां कानून द्वारा यथा प्रावधानित उचित तथा सही रीति में नहीं बनाई गई थीं। इनमें हेरफेर किया गया था और लेनदेनों के समर्थन में साक्ष्य नहीं रखते थे और इसलिए उन्हें अस्वीकार किया गया था। निर्धारिती को

लेनदारों की ऋण योग्यता के साक्ष्य सहित पूर्ण ब्यौरों के साथ देनदारों तथा लेनदारों की वर्ष वार सूची भेजने के लिए कहा गया था जिसे प्रस्तुत करने में निर्धारिती विफल हो गया था। इसलिए एओ ने दर्शाए विविध नए लेनदारों की राशि को आय में जोड़ दिया। तथापि ऐसे संवर्धन केवल 2005-06 तक सम्बन्धित नि.व. में किए गए थे और ₹ 99.02 करोड़, ₹ 98.56 करोड़ और ₹ 186.34 करोड़ की राशि के नए विविध लेनदारों के समान संवर्धन क्रमशः नि.व. 2006-07, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए नहीं किए गए थे। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 383.92 करोड़ का अवप्रभार हुआ।

आगे यह देखा गया था कि नि.व.2008-09 (वि.व. 2007-08) से सम्बन्धित तुलन पत्र में वर्ष के अन्त में विविध लेनदार ₹ 198.12 करोड़ दर्शाया गया है तथापि अगले वि.व. अर्थात् 2008-09 के तुलन पत्र में तुलना के लिए पूर्व वि.व. (अर्थात् 2007-08) के ब्यौरे दर्शाने वाले कालम में उसे ₹ 198.12 करोड़ के स्थान पर ₹ 256.26 करोड़ दर्शाया गया है। इस स्फीत प्रतिबिम्बन के कारण ₹ 58.14 करोड़ की विभेदक राशि नि.व. 2009-10 से सम्बन्धित आय में जोड़ी जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार इस मामले में कुल अवनिर्धारण ₹ 442.06 करोड़ का था जिसमें ₹ 149.93 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

एओज ने अधिनियम में प्रावधानों तथा इस संबंध में सीबीडीटी के निर्देशों के बावजूद निर्धारणों में गणितीय त्रुटियां की।

3.2.8 आय तथा कर की संगणना में गणितीय त्रुटियां

धारा 143 (3) प्रावधान करती है कि एओज को आय सही प्रकार अवधारित तथा निर्धारित करनी है। लेखाओं, अभिलेखों तथा विवरणी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के साथ विभिन्न दावों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तार में जांच की जानी अपेक्षित है। इस संबंध में सीबीडीटी ने समय समय पर निर्देश भी जारी किए हैं।

हमने 9 राज्यों²⁵ में 15 मामले देखे जिनमें एओ ने गणितीय त्रुटियां की जिनमें ₹ 14.65 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था (बाक्स 3.12 देखें)।

बाक्स 3.12: आय तथा कर की संगणना में गणितीय त्रुटियां

क.	प्रभार	: सीआईटी मध्य बंगलौर
	निर्धारिती	: दी हिमालय ड्रग कम्पनी
	निर्धारण वर्ष	: 2005-06
	पैन	: AADFT3025B

हमने देखा कि पूर्व में जारी ₹ 2.85 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारिती द्वारा कुल देय मांग की गणना करते समय वापस नहीं जोड़ा था परिणामस्वरूप ₹ 4.00 करोड़ की मांग की कम गणना हुई। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और धारा 154 के अन्तर्गत नवम्बर 2013 में सुधार आदेश पारित किया गया था।

ख.	प्रभार	: सीआईटी-III, कोलकाता
	निर्धारिती	: एलाइड रेजिन्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड
	निर्धारण वर्ष	: 2008-09
	पैन	: AACCA8557D

हमने देखा कि निर्धारण आदेश में एओ ने ₹ 4.95 करोड़ की अनेक अस्वीकृतियां कीं। एओ ने उस राशि को जोड़ने के स्थान पर कुल आय से घटा दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.97 करोड़ के परिणामी सम्भावित कर प्रभाव के साथ ₹ 9.90 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा द्वारा यथा उल्लिखित गलती का धारा 154 के अन्तर्गत सुधार किया (अगस्त 2014)।

²⁵ आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल

ग.	प्रभार	: सीआईटी-1, हैदराबाद
	निर्धारिती	: डा. रेड्डी'ज रिसर्च फाउण्डेशन लिमिटेड
	निर्धारण वर्ष	: 2008-09
	पैन	: AABCR1733M

हमने देखा कि 10 मार्च 2014 को अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143 (3) के अन्तर्गत निर्धारिती कम्पनी के निर्धारण के दौरान 25 अप्रैल 2011 को अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत ₹ 1.69 करोड़ का जारी प्रतिदाय पर निर्धारिती द्वारा देय कुल मांग की गणना करते समय विचार नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.11 करोड़ की मांग कम हुई। आईटीडी ने बताया (जुलाई 2014) कि लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार्य है।

इसने दर्शाया कि अनेक मामलों में निर्धारण की गुणवत्ता समय समय पर सीबीडीटी के निर्देशों के बावजूद गणितीय त्रुटियों से पीड़ित हुआ।

अधिनियम में विशेष प्रावधानों के बावजूद एओ ने विशेष प्रावधानों के अधीन आय का निर्धारण नहीं किया।

3.2.9 विशेष प्रावधान के अन्तर्गत आय का निर्धारण

धारा 115जेबी अंकित लाभ के निर्धारित प्रतिशत पर मैट के उदग्रहण का प्रावधान करती है यदि सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कुल आय पर देय कर यथा निर्धारित कुछ वृद्धियों तथा विलोपनों के बाद अंकित लाभ की ऐसी प्रतिशतता की अपेक्षा कम है।

हमने 5 राज्यों²⁶ में 6 मामले देखे जिनमें एओ ने धारा 115 जेबी के अन्तर्गत आय का उचित प्रकार निर्धारण नहीं किया था जिसमें ₹ 6.11 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था (बाक्स 3.13 देखें)।

बाक्स 3.13 विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित न की गई आय		
क.	प्रभार	: सीआईटी । दिल्ली
	निर्धारिती	: आयुर्वेद लिमिटेड
	निर्धारण वर्ष	: 2009-10
	पैन	: AAECA4056B

एओ ने सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत शून्य आय निर्धारित की। इसलिए निर्धारिती को अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 5.86 करोड़ के अंकित लाभ पर कर

²⁶ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल

भुगतान करना पड़ा। आगे लेखापरीक्षा ने देखा कि लाभ तथा हानि लेखे को डेबिट अशोध्य ऋणों के प्रावधान के संबंध में ₹ 35.00 लाख की राशि भी अंकित लाभ में जोड़ी जानी अपेक्षित थी। न तो निर्धारिती ने और न ही एओ ने धारा 115 जेबी के अन्तर्गत कर निर्धारित किया। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.21 करोड़ का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 70.40 लाख का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

ख. प्रभार : सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई
निर्धारिती : इपका लेबोरेटरीज लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2009-10
पैन : AAACI1220M

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में किसी उद्यमी द्वारा किए गए किसी कारोबार से उपार्जित अथवा उदभूत आय निम्नतम वैकल्पिक कर (मैट) की संगणना के प्रयोजन हेतु अंकित लाभ संगणित करते समय गणना में नहीं लिया जाना है। इसके अलावा जैसा विभिन्न न्यायालय निर्णयों²⁷ द्वारा स्पष्ट किया गया, सेज से ऐसी आय अधिनियम की धारा 10ए के अन्तर्गत मुक्त है और इसलिए सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कुल आय की संगणना के भाग के रूप में नहीं मानी जाएगी।

निर्धारिती ने मैट के प्रयोजन हेतु अंकित लाभ की संगणना में पीतमपुर स्थित अपनी सेज यूनिट में ₹ 15.29 करोड़ की हानि को माना और एओ ने उसे अनुमत किया जो स्वीकार्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप उस मात्रा तक अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 1.73 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। इसके अलावा निर्धारिती ने भी सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कुल आय की संगणना में ऊपर उल्लिखित हानि को माना था और एओ ने उसे स्वीकार किया था चूंकि इस मामले में निर्धारिती द्वारा देय कर निम्नतम वैकल्पिक कर था इसलिए निर्धारिती को उपलब्ध मैट क्रेडिट ₹ 1.73 करोड़ की उसी राशि तक अधिक था।

बाद में जब निर्धारिती लेखापरीक्षा में यथा उल्लिखित मैट के अन्तर्गत ₹ 1.73 करोड़ का और भुगतान करता है तो निर्धारिती को नया मैट उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि उसके पास पहले ही उस मात्रा तक अधिक क्रेडिट था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

इसने दर्शाया कि अनेक मामलों में धारा 115 जेबी के अन्तर्गत आय उनमें अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार निर्धारित नहीं की जा रही थी।

²⁷ साइंटिफिक एटलांटा बनाम एसीआईटी 129 टीटीजे 273 (चेन्नई) (एसबी), सीआईटी बनाम योकोगावा (इण्डिया) लि मि. 341 आईटीआर 385 (कर्ना), सीआईटी बनाम ब्लैक एण्ड वीच कंसाल्टिंग 348 आईटीआर 72 (बम्बई), सीआईटी बनाम टीईआई टेकनालाजीज 78 डीटीआर 225 (दिल्ली) तथा अन्य निर्णय

एओज ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारितियों की आय का निर्धारण नहीं किया यद्यपि वह विशेष रूप से मुक्त नहीं थी।

3.2.10 सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत आय का निर्धारण

धारा 5 प्रावधान करती है कि किसी पूर्व वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न सभी आय शामिल होती है जो प्राप्त है अथवा प्राप्त की जानी मानी गई है अथवा जो ऐसी पूर्व वर्ष के दौरान उपार्जित होती है अथवा उत्पन्न होती है जब तक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कर से मुक्त नहीं होती है।

हमने 8 राज्यों²⁸ में 16 मामले देखे जिमसे एओ ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत आय का निर्धारण नहीं किया था जिसमें ₹ 84.21 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (बाक्स 3.14 देखें)।

बाक्स 3.14: सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित न की गई आय

क.	प्रभार	: सीआईटी ॥ बडोदरा
	निर्धारिती	: सन फार्मास्युटिकल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (एसपीआईएल)
	निर्धारण वर्ष	: 2008-09 to 2010-11
	पैन	: AADCS3124K

निर्धारिती कम्पनी (एसपीआईएल) ने भागीदारी फर्म में. सन फार्मास्युटिकल इण्डस्ट्रीज (एसपीआई) से यह कहते हुए ₹ 141.72 करोड़ प्राप्त किए कि यह फर्म से पारिश्रमिक था और यह कहते हुए इस आय पर धारा 28(v) के अन्तर्गत छूट का दावा किया कि फर्म ने पहले ही अपनी आय में इस राशि को जोड़ दिया है। हमने भागीदारी पत्र के

ब्यौरों से पाया कि इस प्रकार प्राप्त आय तकनीकी, विपणन तथा वितरण सहायता और एसपीआई (फर्म) की बाबत निष्पादित कुछ अन्य कार्यों के लिए सेवा प्रभारों की प्रकृति की थी।

इसलिए एसपीआईएल की उपर्युक्त आय पारिश्रमिक की प्रकृति की न होने पर परन्तु सेवा प्रभार होने पर कर भारित की जानी अपेक्षित थी। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 141.72 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 48.17 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2014)।

²⁸ असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान पश्चिम बंगाल

ख. प्रभार	: सीआईटी मध्य-III, कोलकाता
निर्धारिती	: निक्सिल फार्मास्युटिकल्स स्पेशियल्टीज लिमिटेड
निर्धारित वर्ष	: 2010-11
पैन	: AABCN6977H

निर्धारिती के तुलन पत्र में निवेश के ब्यौरों से पता चला कि 31 मार्च 2010 को एक अन्य कम्पनी में. बासिल इण्टरनेशनल लिमिटेड ने निर्धारिती कम्पनी में ₹ 24.33 करोड़ का निवेश किया था। जबकि में. बासिल इण्टरनेशनल लिमिटेड के निवेश ब्यौरें निर्धारिती के इक्विटी शेयरोंमें मात्र ₹ 9.44 करोड़ दर्शाते हैं। चूंकि निर्धारिती के लेखाओं में वर्ष के दौरान शेयरों की कोई बिक्री नहीं दर्शाई गई इसलिए इस प्रकार प्रदर्शित अधिक राशि धारा 69 के अन्तर्गत अघोषित स्रोत से आया मानी जानी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.89 करोड़ का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 4.24 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2014)।

ग. प्रभार	: सीआईटी-एलटीयू, बंगलौर
निर्धारिती	: बायोकोन लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2010-11
पैन	: AAACB7461R

हमने पाया कि एओ ने निर्धारण में कुल आय संगणित करते समय ₹ 8.83 करोड़ की अन्य स्रोत से आय पर विचार नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप उतनी आय की कम संगणना हुई जिसमें ₹ 3 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

आईटीडी ने बताया है (दिसम्बर 2014) कि अधिनियम की धारा 147 के अन्तर्गत मामला पुनः खोला गया है और संशोधित विवरणी दाखिल करने का उसे निर्देश देते हुए निर्धारित को धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 1-10-2014 जारी किया गया है।

इसने दर्शाया कि अनेक मामलों में अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत आय समय समय पर जारी सीबीडीटी के निर्देशों के बाबजूद निर्धारित नहीं की जा रही थी।

निर्धारण अधिकारियों ने पूंजीगत अभिलाभों का गलत वर्गीकरण किया तथा संगणना की।

3.2.11 पूंजीगत लाभों का वर्गीकरण और संगणना

अधिनियम की धारा 45 प्रावधान करती है कि किसी पूंजीगत परिसम्पत्ति के हस्तान्तरण से उत्पन्न कोई लाभ तथा अभिलाभ पूंजीगत अभिलाभ शीर्ष के अन्तर्गत आयकर को प्रभार्य होंगे।

अधिनियम की धारा 50बी प्रावधान करती है कि मंदी बिक्री से उत्पन्न कोई लाभ तथा अभिलाभ दीर्घावधि पूंजीगत परिसम्पत्ति के हस्तान्तरण से उत्पन्न पूंजीगत अभिलाभ के रूप में आयकर को प्रभार्य होंगे।

हमने मुम्बई में एक मामला देखा जिसमें एओ ने पूंजीगत अभिलाभ के अन्तर्गत आय का उचित प्रकार निर्धारण नहीं किया था जिसमें ₹ 0.74 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था (बाक्स 3.15 देखें)

बाक्स 3.15 पूंजीगत अभिलाभों का गलत वर्गीकरण तथा संगणना

क. प्रभार	: सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई
निर्धारिती	: ग्लेनमार्क फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2009-10
पैन	: AAACG2207L

निर्धारिती ने ₹ 750 करोड़ के लिए कारोबार हस्तान्तरण अनुबन्ध के अन्तर्गत 01 अप्रैल 2008 को अंकलेश्वर तथा गोवा स्थित अपनी दो जेनरिक यूनियों को बेचा था। तथापि इस बिक्री प्रतिफल से कारोबार की लागत डेबिट करते समय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ निकालने के लिए इन यूनियों के पूंजीगत चालू कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) का अंकित मूल्य ₹ 54.91 करोड़ माना। जबकि 31 मार्च 2008 को सीडब्ल्यूआईपी का अन्तःशेष मात्र ₹ 51.66 करोड़ था जैसा तुलन पत्र के स्थाई परिसम्पत्ति अनुसूची की टिप्पणियों में प्रतिबिम्बित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.25 करोड़ के दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभों का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 73.65 करोड़ लाख के कर का कम उदग्रहण अन्तर्ग्रस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

3.2.12 अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन

अधिनियम की धारा 92ई के साथ पठित धारा 92डी प्रावधान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन में भाग लेता है, को निर्धारित सूचना तथा दस्तावेजों का रखरखाव तथा अनुरक्षण करना और इस संबंध में किसी लेखाकार से निर्धारित तारीख से पूर्ण फार्म 3 सीईबी में रिपोर्ट प्राप्त तथा भेजनी पड़ती है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 271 एए के अनुसार ऐसी सूचना के रखरखाव तथा अनुरक्षण करने और अथवा यथा अपेक्षित ऐसे लेन देन की रिपोर्ट करने में विफलता अथवा गलत सूचना या दस्तावेज का अनुरक्षण करने अथवा भेजने पर किए गए अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन के मूल्य के दो प्रतिशत की दर पर शास्ति लगेगी।

हमने महाराष्ट्र में अन्तरण मूल्य निर्धारण कार्यों में अथवा आईटीडी द्वारा इसका प्रभाव देने में त्रुटियों वाले पांच मामलों देखें जिनमें ₹ 7.58 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था (बाक्स 3.16 देखें)।

बाक्स 3.16 अन्तरण मूल्य निर्धारण में अनियमितताएं

क. प्रभार	: सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई
निर्धारिती	: ग्लेनमार्क जेनरिक लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2009-10
पैन	: ACCG9820D

अधिनियम की धारा 92ई के साथ पठित धारा 92 डी प्रावधान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन में भाग लेता है, को निर्धारित सूचना तथा दस्तावेजों का रखरखाव तथा अनुरक्षण करना और इस संबंध में किसी लेखाकार से निर्धारित तारीख से पूर्व फार्म 3 सीईबी में रिपोर्ट प्राप्त करना तथा भेजनी पड़ती है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 271 ए के अनुसार ऐसी सूचना के रखरखाव तथा अनुरक्षण करने और अथवा यथा अपेक्षित ऐसे लेन देन कि रिपोर्ट करने में विफलता अथवा गलत सूचना या दस्तावेज का अनुरक्षण करने अथवा भेजने पर किए गए अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन के मूल्य के दो प्रतिशत की दर पर शास्ति लगेगी।

हमने देखा कि निर्धारिती ने मै. ग्लेनमार्क जेनरिकस इं, यूएसए द्वारा ग्राहक को एक समय अतिरिक्त बिक्री अनुमतियों के प्रति कम्पनी के शेयर के लिए भुगतान के कारण लाभ एवं हानि लेखे में ₹ 111.11 करोड़ के कुल अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन दर्शाए थे। उसे फार्म 3 सीडी में कर लेखापरीक्षा रिपोर्टर द्वारा भी प्रमाणित किया गया था। तथापि निर्धारिती द्वारा उसे फार्म सं. 3 सीईबी में न तो सूचित किया गया था और न ही अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी अथवा एओ द्वारा संज्ञान में लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 111.11 करोड़ तक फर्म सं. 3 सीईबी में अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन की सूचना नहीं हुई जिस पर 2 प्रतिशत की दर पर ₹ 2.22 करोड़ की शास्ति लगनी था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ख. प्रभार	: सीआईटी-VIII, मुम्बई
निर्धारिती	: फाइजर लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2010-11
पैन	: AAACE3334M

एओ ने निर्धारिती द्वारा अपने सहायक उद्यमों को प्रदत्त लाभ तथा हानि लेखे को डेबिट ₹ 18.38 करोड़ के खर्चे अनुमत किए। तथापि फार्म 3 सीईबी में लेखाकार ने केवल ₹ 10.46 करोड़ का सहायक उद्यमों के साथ लेन देन प्रमाणित किया। इसके

परिणामस्वरूप फार्म 3 सीईबी में लेखाकार द्वारा जो प्रमाणित किया था, के अतिरिक्त ₹ 7.92 करोड़ के व्यय का अधिक दावा हुआ जिसके कारण उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 2.69 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2014)।

3.2.13 अन्य मामलें

हमने विविध प्रकृति जैसे अनंतिम खर्चों की अनुमति, ब्याज के उदग्रहण में गलती, जाली खरीद खर्चों की अनुमति आदि के 5 राज्यों²⁹ में 13 मामले भी देखे जिनमें ₹ 12.15 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (बाक्स 3.17-3.20 देखें)।

बाक्स 3.17 विविध गलतियों के निदेशी मामले

खर्चों के प्रावधान अनुमत करने में गलती

धारा 37 के अनुसार कारोबार अथवा वृत्ति के प्रयोजनों हेतु पूर्णतया अथवा एक मात्र रूप से लगाया गया अथवा खर्च किया गया कोई व्यय (धारा 30 से 36 तक में वर्णित प्रकृति का खर्च न होने पर और पूंजीगत व्यय अथवा निर्धारिती का व्यक्तिगत खर्च की प्रकृति का न होने पर) कारोबार अथवा वृत्ति को लाभ तथा अभिलाभ " शीर्ष के अन्तर्गत प्रभार्य आय की संगणना में अनुमत किया जाएगा। इसलिए किया गया कोई प्रावधान स्वीकार्य खर्च नहीं है।

क. प्रभार	: सीआईटी एलटीयू मुम्बई
निर्धारिती	: ग्लेनमार्क फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11
पैन	: AAACG2207L

हमने देखा कि निर्धारिती ने " उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान" के लिए नि.व. 2008-09 के लिए ₹ 2.03 करोड़, नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 4.58 करोड़, नि.व. 2010-11 के लिए ₹ 3.46 करोड़ की राशि का प्रावधान किया। आईटी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार किया गया कोई प्रावधान स्वीकार्य व्यय नहीं है। इसलिए इसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए था और अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत आय की संगणना करते समय कुल आय को जोड़ा जाना चाहिए था। परन्तु न तो निर्धारिती ने और न ही विभाग ने इस आय को जोड़ा है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.43 करोड़ के परिणामी व्यय उदग्रहण के साथ ₹ 10.08 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2014)।

²⁹ केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल

ख. प्रभार	: सीआईटी त्रिवेन्द्रम
निर्धारिती	: केरल मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन
निर्धारण वर्ष	: 2010-11
पैन	: AADCK4029M

हमने देखा कि पी एण्ड एल लेखा को डेबिट ₹ 1.42 करोड़ की राशि का आयकर हेतु प्रावधान कुल आय संगणित करते समय वापस नहीं जोड़ा गया था। गलती के परिणामस्वरूप उतनी मात्रा का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 48.11 लाख के कर का कम उदग्रहण अन्तर्ग्रस्त था। आईटीडी ने आपत्ति स्वीकार कर ली।

बाक्स 3.18 विविध गलतियों के निदर्शी मामलें

जाली खरीद खर्चों की अनुमति

धारा 37 के अनुसार किसी प्रयोजन, जो एक अपराध है अथवा जो कानून द्वारा प्रतिबन्धित है, के लिए निर्धारिती द्वारा किया गया कोई व्यय कारोबार अथवा वृत्ति के प्रयोजन हेतु किया गया नहीं माना जाएगा और ऐसे खर्च के संबंध में कोई कटौती अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी।

महाराष्ट्र राज्य के बिक्री कर विभाग ने अपनी जांच के दौरान भारी घोटाले का पर्दाफाश किया था जिसमें उन्होंने पाया था कि कुछ व्यापारी वास्तविक बिक्री/ खरीद लेन देन बिना बीजक जारी कर रहे थे जो कुछ नहीं था परन्तु हवाला लेन देन था। उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के बिक्री कर विभाग की वेबसाइट पर ऐसे हवाला व्यापारियों की सूची प्रकाशित करना आरम्भ किया। ऐसे जाली व्यापारियों से की गई खरीद निर्धारितियों के लिए स्वीकार्य कटौती नहीं हैं।

प्रभार	: सीआईटी-VIII, मुम्बई
निर्धारिती	: हिरेन आरगोकम लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2009-10
पैन	: AAACH0977J

एओ ने महाराष्ट्र सरकार के बिक्री कर विभाग की वेबसाइट पर जाली व्यापारियों की सूची में शामिल एक व्यापारी, मै. उत्काण्ठा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड जिससे निर्धारिती ने ₹ 13.20 करोड़ की खरीदें दर्शाई थीं, का नाम सत्यापित किए बिना संवीक्षा निर्धारण पूरा किया और इसलिए ये खर्च स्वीकार्य नहीं थे। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप उतनी मात्रा का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 3.96 करोड़ का सम्भावित कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

आईटीडी ने अपने उत्तर में यह कहते हुए आपत्ति स्वीकार नहीं की कि लेखापरीक्षा ने तीसरे पक्ष सूचना पर भरोसा किया था। आईटीडी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि व्यापारी का नाम महाराष्ट्र सरकार के बिक्री कर विभाग की वेबसाइट पर जाली

व्यापारियों की सूची में प्रकाशित था और स्वयं आईटीडी प्रवृत्ति में जाली खरीदों की अस्वीकृतियों के लिए उस वेबसाइट से सूचना का उपयोग करता है। इसके अलावा यह न्याय निर्णोत³⁰ है कि विभिन्न राज्य/केन्द्र सरकार अधिकारियों द्वारा अनुरक्षित अभिलेख साक्ष्य के महत्वपूर्ण भाग हैं।

बाक्स 3.19: विविध गलतियों के निदर्शी मामले

कर जमा न करना

क. प्रभार	: सीआईटी-॥ चण्डीगढ़
निर्धारिती	: बीनस रेमेडीज लिमि.
निर्धारण वर्ष	: 2011-12
पैन	: AAACV6524H

निर्धारिती कम्पनी ने 30.09.2011 को नि.व.2011-12 के लिए ₹ 2.74 करोड़ का लाभांश घोषित किया। धारा 115(ओ) के प्रावधानों के अनुसार ₹ 44.16 लाख का अतिरिक्त कर 15 अक्टूबर 2011 से पूर्व जमा किया जाना अपेक्षित था। निर्धारिती ने कर जमा नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी ₹ 44.16 लाख की कर मांग की बकाया शेष राशि के साथ चूककर्ता हो गई। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ब्याज के उदग्रहण में गलती

ख. प्रभार	: सीआईटी मध्य-IV, मुम्बई
निर्धारिती	: रजत फार्माकेम लिमि.
निर्धारण वर्ष	: 2008-09
पैन	: AAACR6464N

एओ ने मई 2011 में अधिनियम की धारा 153 ए के साथ पठित धारा 144 के अन्तर्गत एक पक्षीय संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। इस मामले में निर्धारिती ने न तो धारा 139(1) के अन्तर्गत विवरणी दाखिल की और न ही अधिनियम की धारा 153ए के अन्तर्गत दाखिल की। एओ ने निर्धारिती की कुल आय ₹ 283.98 करोड़ पर निर्धारित की जिस पर ₹ 96.52 करोड़ का कर उदग्रहण था। हमने देखा कि 32 महीने (01-10-2008 से 31-05-2011) के लिए 1 प्रतिशत की दर पर उदग्रहण धारा 234 ए के अन्तर्गत ब्याज ₹ 30.89 करोड़ बनी तथापि एओ ने केवल ₹ 29.92 करोड़ उदग्रहीत की थी। इसलिए ₹ 96.52 लाख का धारा 234 ए के अन्तर्गत ब्याज का कम उदग्रहण हुआ था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

³⁰ मोतीपुर सुगर फैक्टरी (प्रा.) लिमि. बनाम सीआईटी (1974)95 आईटीआर 401-पटना (उन्या), सीताराम माइनिंग कम्पनी बनाम सीआईटी (1968) 68 आईटीआर 1 (आ प्र) उ न्या

बाक्स 3.20 विविध गलतियों के निदर्शी मामले	
प्रतिदायों पर अधिक अथवा ब्याज का उदग्रहण	
च. प्रभार	: सीआईटी-IV, कोलकाता
निर्धारिती	: ओरगानोन (इण्डिया) लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2007-08
पैन	: AAACI6949R
<p>एओ ने धारा 234डी के अन्तर्गत ₹ 16.78 लाख के स्थान पर ₹ 1.37 करोड़ का ब्याज उदग्रहीत किया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234डी के अन्तर्गत ₹ 1.20 करोड़ के ब्याज का अधिक उदग्रहण हुआ। आईआईटी ने सितम्बर 2012 में धारा 154 के अन्तर्गत गलती का सुधार किया। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।</p>	

3.3 निष्कर्ष

कर राजस्व में सहयोग तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के ऊपर आवश्यक नियंत्रण करने के लिए उचित मशीनरी/प्रणाली की विद्यमानता कर मूल्यांकन करने के लिए हमने औषधि क्षेत्र में निर्धारितियों पर एक अध्ययन किया। क्षेत्रवार डाटा अनुरक्षित न करने और आयकर विवरणी तथ उत्पाद शुल्क विवरणी में घोषित टर्नोवर के प्रति सत्यापन हेतु तन्त्र विद्यमान न होने जैसी प्रणाली कमजोरियों के अतिरिक्त हमने भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) जैसे नियामक निकायों के निर्देशों/मार्गनिर्देशों के अननुपालन का उल्लेख किया।

अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हमने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्टता लाने का भी सुझाव दिया ताकि निर्धारण अधिकारियों द्वारा भिन्न विचार नहीं लिए जा सकें, निर्धारणों में संगति हो और मुकदमों का परिहार किया जा सके।

3.4 सिफारिशें

- क.** चिकित्सक के नमूनों सहित फ्रीबीज के रूप में माने जाने वाले खर्चों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सीबीडीटी निर्देश जारी करे। इसके अलावा बिक्री प्रोत्साहन खर्चों से फ्रीबीज की प्रकृति में खर्चों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए ऐसे खर्चों की कटौती का दावा करने वाले निर्धारितियों के लिए सीबीडीटी एक उपयुक्त तन्त्र विकसित करे।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि फ्रीबीज किस से बनता है, 10 दिसम्बर 2009 को यथा संशोधित भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा आधार शास्त्र) विनियम 2002 के मार्गनिर्देशों में निर्धारित है और इसलिए कथित मार्गनिर्देशों में कोई परिवर्तन/वृद्धि/विलोचन केवल उस निकाय द्वारा किया जा सकता है। मंत्रालय ने आगे बताया (जनवरी 2015) कि प्रत्येक मामले में विषय उसके गुणदोष के आधार पर एओ द्वारा निर्धारित किया जाता है और उपचारी कार्रवाई एओ के पास उपलब्ध है। मंत्रालय ने आगे बताया कि आईटीआर में फ्रीबीज की प्रकृति में खर्चों के ब्यौरे बनाना इसको भारी भरकम बना देगा।

लेखापरीक्षा का मत है कि इस संबंध में सीबीडीटी निर्देशों में स्पष्टता की कमी के कारण एओ भिन्न विचार ले रहे हैं इसलिए मंत्रालय उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि एओ भविष्य में सुसंगत कार्रवाई कर सके।

- ख. सीबीडीटी इस संबंध में विवादित तथा शेष विविध व्याख्याओं को प्रस्तुत करने के लिए फ्रीबीज के प्रति खर्चों के अस्वीकरण की प्रभावी तारीख स्पष्टता से निर्दिष्ट करें।

मंत्रालय ने बताया कि सीबीडीटी का परिपत्र दिनांक 01 अगस्त 2012 प्रवृत्ति में मात्र स्पष्टकारी था और एओ एमसीआई के विद्यमान/संशोधित मार्गनिर्देशों के आधार पर फ्रीबीज की कोई अस्वीकृति करते हैं और इस मामले में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं हैं।

लेखापरीक्षा का मत है कि परिपत्र में प्रभावी तारीख का अभाव एओज को भिन्न विचारों का और अन्ततः मुकदमों का कारण बन सकता है। इसलिए तारीख जिससे सीबीडीटी के निर्देश लागू होंगे, का प्रत्येक निर्देश/परिपत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए अर्थात् भावी अथवा पूर्वव्यापी।

- ग. मंत्रालय ऐसे आवंटन के आधार और कार्यचालन के साथ साथ सभी सामान्य खर्चों अथवा भारित कटौतियों का आवंटन दर्शाते हुए या तो विवरणी के साथ अथवा निर्धारण अभिलेखों के साथ दाखिल किए जाने के लिए एक मानक फार्म लागू करें।


मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि यह एक अनुपालन मामला है और प्रत्येक मामले के आधार पर कार्रवाई की जानी है। संवीक्षा निर्धारणों के दौरान एओ ऐसे सभी ब्यौरे मांगने के लिए शक्ति सम्पन्न हैं।

तथापि लेखापरीक्षा का अभी भी यह मत है कि निर्धारण अभिलेखों में सामान्य खर्चों के आवंटन का आधार दर्शाने की आवश्यकता है।

- घ. मंत्रालय सामान्यता डीएसआईआर की शर्तें और आरएण्डडी खर्चों की पात्रता और उनकी मात्रा देखने के लिए विशेष रूप से निर्धारण के समय पर निर्धारिती द्वारा दाखिल विवरणी के साथ आरएण्डडी सुविधा के लेखापरीक्षित लेखे के प्रस्तुतीकरण का पालन करे।


मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि आयकर कार्रवाई के दृष्टिकोण से खर्चों के आवंटन आदि जैसी सूचना एकत्र करने के लिए लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र के वर्तमान प्रपत्र के संशोधन हेतु डीएसआईआर से परामर्श किया जाएगा। मंत्रालय ने आगे बताया (जनवरी 2015) कि दाखिल करने के लिए लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र की ई-समर्थकारी की व्यवहार्यता की आईटीडी द्वारा भी जांच की जाएगी।

नई दिल्ली
दिनांक: 5 मार्च 2015


(मनीष कुमार)
प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 5 मार्च 2015


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

संकेताक्षर

एसीआईटी	सहायक आयकर आयुक्त
एडी. सीआईटी	अपर आयकर आयुक्त
एओ	निर्धारण अधिकारी
एआईआर	वार्षिक सूचना रिपोर्ट
एएसटी	निर्धारण सूचना प्रणाली
एवाई	निर्धारण वर्ष
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीसीआईटी	मुख्य आयुक्त आयकर
सीआईटी	आयकर आयुक्त
सीआईटी (ए)	आयकर आयुक्त (अपील)
सीडब्ल्यूआईपी	चालू पंजीगत कार्य
डीसीआईटी	उपायुक्त आयकर
डीजीआईटी	महानिदेशक आयकर
डीजीआईटी (ई)	महानिदेशक आयकर (छूट)
डीएसआईआर	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग
एफवाई	वित्त वर्ष
जीएमपी	अच्छी विनिर्माण प्रथाएं
आईटीएटी	आयकर अपीलीय अधिकरण
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीओ	आयकर अधिकारी
जेसीआईटी	संयुक्त आयुक्त आयकर
एलटीयू	बड़ी करदाता यूनिट
एमएटी	निम्नतम वैकल्पिक कर
एमसीआई	भारतीय चिकित्सा परिषद
एमआईएस	प्रबन्धन सूचना प्रणाली
एनपीपीए	राष्ट्रीय औषधि मूल्यनिर्धारण प्राधिकरण
पीए	निष्पादन लेखापरीक्षा
पीएएन	स्थाई लेखा संख्या
पीसीसीआईटी	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
पीसीआईटी	प्रधान आयुक्त आयकर
आर एण्ड डी	अनुसंधान तथा विकास
टीसीएस	स्रोत पर संग्रहीत कर
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीपीओ	हस्तान्तर मूल्य निर्धारण अधिकारी
वैट	मूल्य संवर्धित कर

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in